घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 239- मंगलवार 30- जून 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

राममंदिर चोरी...8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

अयोध्या के वकील पैरवी नहीं करेंगे,ट्रस्ट की बैठक अब 5 दिन पहले होगी

अयोध्या,29 जून 2026। राम मंदिर ट्रस्ट की 11 जुलाई को होने वाली बैठक अब 6 जुलाई को अयोध्या में होगी। सूत्रों के अनुसार, यह बैठक मणि रामदास जी की छावनी की जगह कारसेवक पुरम में हो सकती है। दिन और जगह क्यों बदला गया, इस बारे में पता नहीं चल पाया है। वहीं, चढ़ावा चोरी मामले में पूर्व पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ की गई। उनके बयान दर्ज किए गए। इसके बाद चंपत राय दिल्ली चले गए। इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वकील अनूप अवस्थी की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार करते हुए कोर्ट ने पूछा कि इतनी जल्दी क्या है? छुट्टियों के बाद ही मामला सुना जाएगा। इधर, पुलिस सोमवार सुबह साढ़े 10 बजे जेल में बंद 8 आरोपियों के खाते खंगालने के लिए एसबीआई

की अयोध्या धाम ब्रांच पहुंची। 7 आरोपियों के खाते इसी ब्रांच में हैं। पुलिस ने बैंक स्टेटमेंट लिए। अब यह जांच की जाएगी कि मंदिर में नौकरी के बाद से उनके खातों में कितना पैसा आया। पुलिस ने बैंक के 2 कर्मचारियों को भी नोटिस दिया है। इस बीच, सभी 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस आरोपियों की रिमांड नहीं मांगी। फिर कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। तब तक आरोपी जेल में ही रहेंगे। हालांकि,इससे पहले ही अयोध्या के वकीलों ने बड़ी बैठक की। इसमें फैसला लिया कि चढ़ावा चोरी के आरोपियों का केस कोई भी वकील नहीं लड़ेगा। साथ ही, चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा के अयोध्या छोड़ने की मांग की। नहीं छोड़ने पर आंदोलन की चेतावनी दी।

'चंपत राय और उनके साथी छोड़ दें अयोध्या', फैजाबाद बार एसोसिएशन ने दी आंदोलन की चेतावनी

अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार आठ आरोपियों की सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेशी होगी। इस मामले ने पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। फैजाबाद बार एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि कोई भी वकील इस मामले के आरोपियों की पैरवी नहीं करेगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि यदि कोई अधिवक्ता आरोपियों का पक्ष रखता है,तो उस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और उसकी सदस्यता भी रद्द कर दी जाएगी। बार एसोसिएशन ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। साथ ही चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी उठाई गई है। वकीलों ने कहा कि यदि तीन दिन के भीतर ये लोग अयोध्या नहीं छोड़ते हैं, तो बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

बढ़ता हुआ जन-आक्रोश और कानूनी पेंच

राम मंदिर चंदा चोरी का यह विवाद अब केवल कानूनी मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर उठ रहे इन गंभीर सवालों के बाद स्थानीय स्तर पर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। बार एसोसिएशन का यह कदम कानूनी बिरादरी के उस रुख को दर्शाता है, जहाँ वे अपनी नैतिकता को पेशे से ऊपर रखते हुए समाज के साथ खड़े हैं। यह स्थिति प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती पैदा कर रही है, क्योंकि एक तरफ जाँच की प्रक्रिया चल रही है, तो दूसरी तरफ अयोध्या का जनमानस और कानूनी समुदाय आरोपियों के खिलाफ तुरंत और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है।

राष्ट्रपति ने रक्षा अलंकरण समारोह में 105 विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए,7 अधिकारियों को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया

नई दिल्ली,29 जून 2026। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह-2026 (द्वितीय चरण) में सशस्त्र बलों तथा भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के 105 अधिकारियों और कर्मियों को विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान किए। इन पुरस्कारों में सात सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक,30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा शामिल हैं। राष्ट्रपति ने इन अलंकरणों से उन सैन्य अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया,जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा और रक्षा सेवाओं में असाधारण नेतृत्व,उत्कृष्ट पेशेवर क्षमता तथा विशिष्ट सेवा का परिचय दिया। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा,एयर मार्शल नागेश कपूर, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती,सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह,सेवानिवृत्त एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी तथा सेवानिवृत्त एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक 30 वरिष्ठ अधिकारियों को प्रदान किए गए। इनमें नौसेना के एडमिरल (तत्कालीन वाइस एडमिरल) कृष्णा स्वामीनाथन, लेफ्टिनेंट जनरल मंजिंदर सिंह, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित,एयर मार्शल तेजिंदर सिंह, एयर मार्शल सीथेपल्ली श्रीनिवास सहित थलसेना, नौसेना और वायुसेना के अनेक वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक 12 अधिकारियों को प्रदान किए गए। इनमें लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना, लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव,लेफ्टिनेंट जनरल राजन शरावत, लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत एस. पेंढारकर, लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह,लेफ्टिनेंट जनरल प्रसन्न किशोर मिश्रा,वाइस एडमिरल तरुण सोबती, एयर मार्शल प्रवीण केशव वोहरा,एयर कमोडोर अजय कुमार चौधरी,एयर कमोडोर प्रभात मलिक और ग्रुप कैप्टन कमरान नजीर शामिल हैं। अति विशिष्ट सेवा पदक 56 अधिकारियों और कर्मियों को प्रदान किए गए। इनमें एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय,लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला,लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह वंद्रा, कई वरिष्ठ नौसेना और वायुसेना अधिकारी, भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक डॉनी माइकल तथा सेना के सूबेदार एच. होकाटो सेमा भी शामिल हैं।

मल्लिकार्जुन खरगे ने राज्यसभा सदस्य के रूप में ली शपथ,कर्नाटक से दूसरी बार बने राज्यसभा सांसद

नई दिल्ली,29 जून 2026। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। वे कर्नाटक से लगातार दूसरी बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर सोनिया गांधी, जे.पी. नड्डा, हरिवंश, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

जनता की आवाज उठाने का भरोसा : शपथ लेने के बाद खरगे ने कहा कि दोबारा राज्यसभा सदस्य बनना उनके लिए सम्मान और बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में वे संसद में जनता की समस्याओं और मुद्दों को पूरी ईमानदारी और मजबूती से उठाते रहेंगे।

नेताओं और कार्यकर्ताओं का जताया आभार : खरगे ने राज्यसभा सभापति सी.पी. राधाकृष्णन, उपसभापति हरिवंश, कांग्रेस नेतृत्व, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पार्टी सांसदों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का धन्यवाद दिया। उन्होंने विपक्षी दलों और इंडी गठबंधन के सहयोग की भी सराहना की।

लंबा रहा राजनीतिक सफर : 83 वर्षीय मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1972 में कर्नाटक विधानसभा से की थी। वे कई बार विधायक, लोकसभा सांसद और केंद्रीय रेल मंत्री तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री रह चुके हैं।

अमित शाह की उपस्थिति में हरियाणा-राजस्थान के बीच यमुना जल परियोजना पर समझौता

नई दिल्ली,29 जून 2026। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में सोमवार को हरियाणा और राजस्थान सरकारों के बीच यमुना जल परियोजना के निर्माण एवं कार्यान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के तहत जुलाई से अक्टूबर के बीच पश्चिमी यमुना नहर से लगभग 580 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) पानी तीन भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा। 3.6 मीटर से अधिक व्यास वाली इन पाइपलाइनों के जरिए राजस्थान और हरियाणा दोनों राज्यों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। समझौते के अवसर पर अमित शाह ने कहा कि इससे हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग तीन दशक पुरानी पेयजल संबंधी समस्या के समाधान का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'संवाद से समाधान' और 'सहकारी संघवाद' के मंत्र का उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए कहा कि यदि राज्य सहयोग की भावना से कार्य करें तो वर्षों

पुराने विवाद भी आसानी से सुलझाए जा सकते हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल तथा केंद्र और दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि समझौते में वित्तीय दायित्व, लागत साझेदारी, जल आवंटन, जल छोड़ने की प्रक्रिया, रखरखाव, निगरानी व्यवस्था, पारदर्शिता तथा विवाद निपटान की वैज्ञानिक और व्यापक व्यवस्था शामिल की गई है। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा तैयार यह ढांचा आने वाले कई दशकों तक विवाद-मुक्त व्यवस्था के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में इस लंबे समय से लंबित मुद्दे का समाधान कुछ ही दिनों में निकाल लिया गया। इस परियोजना से राजस्थान के सीकर, चूरू और झुंझुनूं जिलों तथा हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। गृह मंत्री ने कहा कि अब तक बेकार बह जाने वाला वर्षा जल लोगों की प्यास बुझाने के साथ-साथ बड़े तालाबों में संग्रहित कर भूजल स्तर को भी रिचार्ज करेगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों राज्यों के लिए 'विन-विन' स्थिति का उदाहरण है। यमुना जल परियोजना का उद्देश्य 1994 के उच्च यमुना बेसिन की सतही जल साझेदारी संबंधी समझौते के तहत राजस्थान को आवंटित जल हिस्से को पश्चिमी यमुना नहर से भूमिगत पाइपलाइन प्रणाली के जरिए राज्य तक पहुंचाना है, जिससे शुष्क एवं अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में लाखों लोगों को विश्वसनीय पेयजल उपलब्ध हो सके और सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिले।

निर्माणाधीन रिसॉर्ट की दीवार ढही मलबे में दबने से 3 मजदूरों की मौत

जयपुर,29 जून 2026। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार को एक निर्माणाधीन रिसॉर्ट में बड़ा हादसा हो गया। चंदवाजी थाना क्षेत्र में सीवरेज लाइन की मरम्मत के दौरान अचानक रिसॉर्ट की दीवार भरभराकर गिर गई। हादसे की चपेट में आकर कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए। दुर्घटना में दो महिलाओं समेत तीन मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंच गया। स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला गया और सभी घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया,जहां उनका उपचार जारी है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में लेकर राहत और बचाव अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने मलबे की बारीकी से जांच की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके नीचे कोई अन्य व्यक्ति फंसा न हो। प्रारंभिक जांच में हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं। मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में निर्माण कार्य में लापरवाही या सुरक्षा नियमों की अनदेखी सामने आती है, तो जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बिहार के दरभंगा में जलेश्वर नाथ मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली,गुंबद को नुकसान

पटना, 29 जून 2026। बिहार के दरभंगा जिले के हायाघाट थाना क्षेत्र के होरलपट्टी गांव स्थित प्राचीन जलेश्वर नाथ महादेव मंदिर पर सोमवार सुबह आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली मंदिर के गुंबद पर गिरी,जिससे उसका कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। उस समय मंदिर के अंदर करीब 25 श्रद्धालु पूजा कर रहे थे। राहत की बात यह रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित बच गए। स्थानीय लोगों के अनुसार यह मंदिर करीब 150 वर्ष पुराना है। इसका निर्माण दरभंगा महाराज रमेश्वर सिंह की पत्नी महारानी लक्ष्मेश्वरी ने कराया था। यह मंदिर बिहार ही नहीं, बल्कि नेपाल से आने वाले श्रद्धालुओं की भी आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। घटना के बाद ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने प्रशासन से मंदिर के क्षतिग्रस्त गुंबद की जल्द मरम्मत कराने की मांग की है।

पुणे रेप-मर्डर केस में 59 दिन में फैसला....4 साल की बच्ची के दरिंदे को मिला फांसी की सजा

पुणे,29 जून 2026। पुणे के नसरापुर गांव में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दिल दहला देने वाली दरिंदगी और हत्या के मामले में पुणे की विशेष अदालत ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए दोषी भीमराव प्रभाकर कांबले को फांसी की सजा सुनाई है। यह मामला न्याय प्रणाली की गति का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहाँ जघन्य अपराध के महज 59 दिनों के भीतर दोषी को उसके अंजाम तक पहुँचाया गया। 65 वर्षीय भीमराव कांबले ने 1 मई को बच्ची को लालच देकर अपहरण किया और फिर बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थीं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश) एस. आर. सालुंखे की अदालत ने पॉक्सो अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत आरोपी को दोषी मानते हुए उसे मृत्युदंड दिया। घटना 1 मई की शाम करीब 3 से 4 बजे के बीच की है। आरोपी कांबले ने मासूम बच्ची को खाने की चीजें और मवेशी का बच्चा

(बछड़ा) दिखाने का प्रलोभन दिया और उसे बहला-फुसलाकर एक पशु शेड में ले गया। वहाँ उसने 39 मिनट तक बच्ची के साथ अमानवीय दरिंदगी की। जब बच्ची ने विरोध किया, तो उसने उसका मुंह दबाया और छाती पर घातक चोटें पहुँचाकर उसकी हत्या कर दी। विशेष लोक अभियोजक अजय मिसर ने अदालत में बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर पर चोट के 18 गंभीर निशान मिले थे, जो आरोपी की हैवानियत की पुष्टि करते थे। अदालत ने आरोपी के इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया कि बच्ची फिसलकर गिरने से घायल हुई थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने न्याय की जीत सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता वैज्ञानिक साक्ष्यों का सहारा लिया। अदालत में सीसीटीवी फुटेज, डीएनए प्रोफाइलिंग, मेडिकल रिपोर्ट और आरोपी के मानसिक स्थिति (साउंडनेस) परीक्षण को ठोस सबूत के रूप में पेश किया गया। इसके अलावा, जिन बच्चों ने आरोपी को बच्ची को ले जाते हुए देखा था, उन्होंने पहचान परेड (टीआईपी) के दौरान भी उसकी शिनाख्त की। अभियोजन पक्ष ने उच्चतम न्यायालय के 12 ऐतिहासिक फैसलों का हवाला देते हुए इसे 'रेयर ऑफ द रेयरेस्ट' (दुर्लभ से दुर्लभतम) मामला बताया। आरोपी का पिछला रिकॉर्ड भी बेहद खौफनाक रहा है; उस पर पूर्व में भी एक 62 वर्षीय महिला और एक 17 वर्षीय किशोरी के साथ दुर्व्यवहार के मामले दर्ज थे।

महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक का मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता गिरफ्तार

मुंबई,29 जून 2026। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी ब्रजेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसियों के अनुसार, ब्रजेंद्र गुप्ता लंबे समय से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक कराने वाले कथित नेटवर्क से जुड़ा रहा है। पुलिस अब उसके पुराने मामलों की भी जांच कर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रजेंद्र गुप्ता का नाम पहली बार किसी पेपर लीक मामले में सामने नहीं आया है। वर्ष 2011 में उजागर हुए एक बड़े पेपर लीक प्रकरण में भी उसका नाम आरोपी के रूप में सामने आया था। जांच एजेंसियों का दावा है कि वह पिछले करीब 25 वर्षों से अवैध गतिविधि से जुड़ा हुआ है और देशभर में फैले नेटवर्क के माध्यम से सरकारी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र हासिल कर अभ्यर्थियों तक पहुंचाने का काम करता था। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि के लिए विभिन्न राज्यों की एजेंसियों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। जांच एजेंसियों के अनुसार, ब्रजेंद्र गुप्ता सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं रहता था, जिससे उसकी गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल था।

10वीं में तीसरी भाषा की परीक्षा नहीं होगी...थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी पर सीबीएसई का यूटर्न, नई गाइडलाइन जारी

नई दिल्ली,29 जून 2026। सीबीएसई ने सोमवार को थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर नई गाइडलाइन जारी की। इसके मुताबिक, इस साल 10वीं में पढ़ रहे छात्रों को तीसरी भाषा की परीक्षा नहीं देनी होगी। 7वीं, 8वीं और 9वीं के वे छात्र, जिन्होंने पहले से दो विदेशी भाषाएं चुनी हैं, वे अपनी वही भाषाएं जारी रख सकेंगे। हालांकि, उन्हें इसके साथ एक भारतीय भाषा भी पढ़नी होगी। इन छात्रों को 10वीं में आने पर तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी। सीबीएसई के इस फैसले से 50 लाख छात्र-छात्राओं को राहत मिली है।

वर्तमान कक्षा 10 : सत्र 2026-27 के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। छात्र पहले की तरह केवल दो भाषाओं के साथ ही बोर्ड परीक्षा देंगे। तीसरी भाषा न पढ़नी होगी और न ही उसकी बोर्ड परीक्षा देनी होगी।

वर्तमान कक्षा 9 : इस बैच के छात्रों को 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें कम से कम 2 भारतीय भाषाएं जरूरी होंगी। हालांकि, जब ये छात्र अगले साल क्लास 10 में पहुंचेंगे, तब तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। तीसरी भाषा का मूल्यांकन स्कूल स्तर पर किया जाएगा।

कराची हमले के बाद पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक

अफगानिस्तान में 35 नागरिकों की मौत का दावा

नई दिल्ली,29 जून 2026। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात, करीब 12.30 बजे, पाकिस्तान ने कराची में हुए एक आतंकी हमले का बदला लेने के बहाने अफगानिस्तान की संप्रभुता को गंभीर रूप से चुनौती दी। पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के गियान, पक्तिया प्रांत के चमकानी और कुनार प्रांत के मरवारा इलाकों में भीषण हवाई हमले किए। पाकिस्तान का आधिकारिक दावा है कि यह हमला तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और जमात-उल-अहरार के ठिकानों को खत्म करने के लिए किया गया था। हालांकि, जमीनी हकीकत और वहां से आई हृदयविदारक तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। इन हमलों

में 35 से अधिक निर्दोष नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अफगानिस्तान से सामने आई तस्वीरों ने पाकिस्तान के सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। अस्पताल के वार्डों में दर्द से कराहते 4 से 9 साल के छोटे-छोटे बच्चे और बुजुर्गों की तस्वीरें मानवता को झकझोर रही हैं। यह स्पष्ट है कि निशाना आतंकी ठिकाने नहीं, बल्कि रिहायशी घर,स्कूल और मस्जिदें थीं। इसके बावजूद,पाकिस्तान के मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने के लिए दावा किया कि उनकी वायुसेना ने 25 आतंकवादियों को मार गिराया है। यह झूठ का एक ऐसा पुलिंदा है जो मारे गए मासूम बच्चों के परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। हमले का सबसे दुखद और भयावह पहलू यह है कि यह 'दोहरा हमला' था।

संपादकीय

घुसपैठियों की पहचान

गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने के लिए एक अभियान शुरू करने की दिशा में सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों की जो बैठक बुलाई,उससे यही पता चलता है कि वे इस अभियान को लेकर संकल्पबद्ध हैं। वास्तव में ऐसे किसी अभियान की गहन आवश्यकता है। ऐसा कोई अभियान तभी सफल होगा जब उसे पूरे देश में एक साथ शुरू किया जाएगा। यह अच्छी बात है कि पहली बार ऐसा होने जा रहा है।

अभी तक अलग-अलग राज्यों की पुलिस की ओर से अपने-अपने स्तर पर घुसपैठियों के खिलाफ अभियान छेड़ा जाता था। ऐसे किसी अभियान के दौरान उनकी पहचान और पकड़ भी होती थी,लेकिन घुसपैठिए ऐसा कोई अभियान शुरू होते ही पड़ोसी राज्यों में चले जाते थे। इन स्थितियों में यह आवश्यक है कि पूरे देश में घुसपैठियों के खिलाफ एक साथ अभियान चलाया जाए।

देश में घुसपैठियों और विशेष रूप से बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या कितनी होगी,इसका ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है,लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी अच्छी-खासी संख्या है। बांग्लादेशी घुसपैठिए एवं रोहिंग्या देश के लगभग सभी हिस्सों में दिखाई देते हैं। कई शहरों में तो वे लंबे समय से रह रहे हैं और उन्होंने छल-छद्म से तरह-तरह के पहचान पत्र भी हासिल कर लिए हैं। पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में तो वे मतदाता भी बन गए हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं।

घुसपैठ की समस्या पुरानी है,लेकिन अभी तक किसी भी केंद्रीय सत्ता ने इससे निपटने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए। इसका परिणाम यह हुआ कि घुसपैठ लगातार जारी है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि घुसपैठियों को अवैध तरीके से देश में लाने और उन्हें पहचान पत्र देकर देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने-बसाने वाले गिरोह सक्रिय हैं। इन स्थितियों में घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें पकड़कर वापस भेजने के लिए एक सुनियोजित रणनीति बनानी होगी।

इस रणनीति में सभी राज्य सरकारों को सक्रिय रूप से सहयोग देना होगा। घुसपैठियों के खिलाफ सख्ती इसलिए आवश्यक है,क्योंकि वे केवल देश के संसाधनों पर ही बोझ नहीं बन रहे हैं, बल्कि देश के अनेक सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक ताने-बाने को भी बदल रहे हैं। कई जगह तो उनकी गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने का काम कर रही हैं।

आवश्यक केवल यह नहीं है कि घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जाए,बल्कि यह भी है कि सीमाओं पर ऐसी व्यवस्था की जाए,जिससे भविष्य में देश के किसी भी हिस्से में घुसपैठ न हो सके। इसके लिए सीमाओं को अभेद्य बनाने का जो कार्य जारी है,उसे और ठोस रूप प्रदान करना होगा।

क्या हम विकास और विनाश के बीच संतुलन साध पाएंगे?

ललित गर्ग
पटपड़गंज,
नई दिल्ली

वेनेजुएला में हाल में आए भीषण भूकम्प ने केवल एक देश को नहीं,बल्कि पूरी मानवता को झकझोर दिया है। मृतकों और लापता लोगों की संख्या समय के साथ बदलती रही हो, लेकिन त्रासदी की भयावहता निर्विवाद है। हजारों परिवार अपने प्रियजनों को खोने की असहनीय पीड़ा से गुजर रहे हैं। ऐसे प्रत्येक अवसर पर पूरी दुनिया संवेदना व्यक्त करती है,राहत सामग्री भेजती है, सहायता अभियान चलाती है,लेकिन एक प्रश्न बार-बार हमारे सामने खड़ा हो जाता है-क्या हम हर बड़ी आपदा से कोई स्थायी सबक सीखते हैं या फिर कुछ दिनों की चर्चा और शोक के बाद सब कुछ भुलाकर पुनः उसी लापरवाह विकास-यात्रा एवं प्रकृति की घोर उपेक्षा पर निकल पड़ते हैं? प्राकृतिक आपदाएं कभी कैलेंडर देखकर नहीं आतीं। वे न देश चुनती हैं,न मौसम और न समय। जब धरती कांपती है,नदियां उफान पर आती हैं,पहाड़ दरकते हैं या समुद्र विकराल रूप धारण कर लेता है, तब विकास के बड़े-बड़े दावे,ऊंची-ऊंची इमारतें और तकनीकी उपलब्धियों का अहंकार कुछ ही क्षणों में धराशायी हो जाता है। ऐसे समय में किसी देश की वास्तविक शक्ति उसकी आर्थिक समृद्धि नहीं,बल्कि उसकी पूर्व तैयारी,संवेदनशील शासन व्यवस्था और जागरूक नागरिक होते हैं।

वेनेजुएला की त्रासदी ने एक सकारात्मक पक्ष भी सामने रखा। आधुनिक तकनीक ने कुछ क्षेत्रों में लोगों को भूकम्प के झटके महसूस होने से कुछ सेकंड पहले चेतावनी दी। सुनने में यह समय बहुत कम प्रतीत होता है, लेकिन आपदा की घड़ी में यही कुछ सेकंड जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी तय कर सकते हैं। विज्ञान इस दिशा में निरंतर प्रगति कर रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे प्रारंभिक चेतावनी तंत्र अधिक सटीक,अधिक तेज और अधिक व्यापक बनाए जाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों का

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

जीवन सुरक्षित रह सके। भारत के लिए यह विषय केवल एक अंतरराष्ट्रीय समाचार नहीं है। हमारा देश स्वयं भूकम्प,बाढ़,भूस्खलन,बादल फटने, चक्रवात और सुनामी जैसी अनेक प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेलता रहा है। 1993 का लातूर भूकम्प,2001 का भुज भूकम्प,2004 की सुनामी, 2013 की केदारनाथ त्रासदी,2023 की जोशीमठ भू-धंसाव की घटनाएं तथा हिमालयी क्षेत्रों में लगातार बढ़ती बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं आज भी हमारी स्मृतियों में जीवित हैं। इन सभी घटनाओं का एक ही संदेश है-प्रकृति को कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता। वैज्ञानिक आज भी यह निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि किस दिन,किस समय और किस स्थान पर भूकम्प आएगा,लेकिन वे वर्षों से यह चेतावनी अवश्य देते रहे हैं कि भारत का लगभग साठ प्रतिशत भूभाग किसी न किसी स्तर के भूकम्पीय जोखिम वाले क्षेत्र में आता है। हिमालयी क्षेत्र,दिल्ली-एनसीआर, उत्तर-पूर्व,गुजरात और अनेक अन्य क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील माने जाते हैं। इसका अर्थ स्पष्ट है कि यदि भूकम्प की सटीक भविष्यवाणी संभव नहीं है,तो भी पूर्व तैयारी पूरी तरह संभव है। दुर्भाग्य यह है कि हम तैयारी की अपेक्षा आपदा के बाद राहत और पुनर्वास पर अधिक ध्यान देते हैं। आज देश के लगभग हर शहर में कंक्रीट के विशाल जंगल तेजी से खड़े हो रहे हैं। बहुमंजिला आवासीय परिसर, व्यावसायिक भवन,गगनचुंबी टावर और स्मार्ट सिटी विकास की नई पहचान बन चुके हैं। मुंबई,गुरुग्राम, नोएडा,दिल्ली,बेंगलुरु,हैदराबाद और अब जयपुर जैसे शहर भी ऊंची-ऊंची इमारतों की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या इन भवनों की मजबूती केवल सामान्य परिस्थितियों के लिए है या किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए भी?

किसी भी भवन की वास्तविक परीक्षा तब होती है जब धरती कांपती है,जब अचानक बाढ़ आती है,जब तेज हवाएं चलती हैं या जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है। यदि उस समय भवन लोगों की जान बचा सके,तभी उसे वास्तविक विकास का प्रतीक माना जाना चाहिए। केवल ऊंचाई, चमक-दमक और आधुनिक सुविधाएं किसी भवन को सुरक्षित नहीं बनातीं। भारत में भूकम्परोधी निर्माण के लिए मानक और नियम मौजूद हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। समस्या नियमों की कमी नहीं,बल्कि उनके अनुपालन की है। क्या प्रत्येक बहुमंजिला इमारत वास्तव में उन्हीं मानकों के अनुरूप निर्मित हो रही है? क्या निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच होती है? क्या निर्माण के बाद संरचनात्मक सुरक्षा का स्वतंत्र परीक्षण किया जाता है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर पूरी तरह संतोषजनक नहीं है, तो चिंता स्वाभाविक है।

निर्माण क्षेत्र में बढ़ती अनियमितताओं और भ्रष्टाचार ने स्थिति को और गंभीर बनाया है। अनेक बार भू-माफिया, बिल्डर लॉबी और लाभ-लोलुप तत्व पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना करते हुए हरित क्षेत्रों,जलाशयों,नदी तटों और भू-संवेदनशील क्षेत्रों तक में निर्माण कर देते हैं। बाद में यही निर्माण किसी त्रासदी का कारण बनते हैं। नोएडा में अवैध रूप से निर्मित सुपरटेक ट्विन टावरों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ध्वस्त किया जाना इस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार नियमों की अनदेखी कर निर्माण कार्य किए जाते रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि कोई निर्माण अवैध था,तो उसे बनने की अनुमति किसने दी? निर्माण पूरा होने तक प्रशासन मौन क्यों रहा? क्या विकास के नाम पर कुछ लोगों के आर्थिक लाभ के लिए लाखों नागरिकों के जीवन को जोखिम में डाला जा सकता है? यह केवल कानूनी प्रश्न नहीं,बल्कि नैतिक प्रश्न भी है। शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों,नगर विकास न्यासों तथा भवन निर्माण की अनुमति देने वाली एजेंसियों की जिम्मेदारी केवल नक्शों पर हस्ताक्षर करने तक सीमित नहीं हो सकती। प्रत्येक निर्माण की तकनीकी, पर्यावरणीय और संरचनात्मक जांच अत्यंत कठोरता से की जानी चाहिए। सुरक्षा मानकों का पालन केवल एक औपचारिकता नहीं,बल्कि नागरिकों के जीवन की रक्षा का दायित्व है।

एक अन्य गंभीर चिंता जलवायु परिवर्तन और प्रकृति के साथ बढ़ती छेड़छाड़ की है। पहाड़ों को काटकर सड़कें बनाना,नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करना, जंगलों का अंधाधुंध विनाश,अतिक्रमण,खनन और अनियोजित शहरीकरण ने प्रकृति के संतुलन को गहराई से प्रभावित किया है। परिणामस्वरूप भूस्खलन,अचानक बाढ़, शहरी जलभराव और जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। हिमालयी क्षेत्रों में बार-बार आने वाली त्रासदियां हमें चेतावनी दे रही हैं कि विकास का मॉडल प्रकृति-विरोधी नहीं,बल्कि प्रकृति-संगत होना चाहिए। यह मान लेना भी खतरनाक है कि जिस क्षेत्र में पहले कभी बड़ा भूकम्प नहीं आया, वहां भविष्य में भी खतरा नहीं होगा। धरती के भीतर क्या हलचल चल रही है,इसका पूरा रहस्य आज भी मानव नहीं जान पाया है। इसलिए केवल पुराने अनुभवों के आधार पर किसी क्षेत्र को पूर्णतः सुरक्षित मान लेना आत्मघाती हो सकता है। आज भवन निर्माण केवल भूकम्प को ध्यान में रखकर नहीं किया जा सकता। अत्यधिक वर्षा,शहरी बाढ़, तेज हवाएं,तापमान में वृद्धि और अन्य प्राकृतिक चुनौतियों को भी नगर नियोजन का हिस्सा बनाना होगा। भविष्य के शहरों को बहुस्तरीय सुरक्षा की अवधारणा के आधार पर विकसित करना समय की मांग है। आपदा आने के बाद राहत और पुनर्वास पर हजारों करोड़ रुपये खर्च करने की अपेक्षा पहले से सुरक्षा पर निवेश करना कहीं अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण और मानवीय दृष्टिकोण है। सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी पर्याप्त नहीं है। नागरिकों को भी आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक होना होगा। विद्यालयों, कार्यालयों और आवासीय परिसरों में नियमित मॉक ड्रिल आयोजित की जानी चाहिए। आधुनिक चेतावनी प्रणालियों को गांवों तक पहुंचाया जाना चाहिए।

प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता,लेकिन उनसे होने वाली तबाही को काफी हद तक कम अवश्य किया जा सकता है। इसके लिए वैज्ञा निक अनुसंधान,आधुनिक तकनीक,मजबूत निर्माण मानक, कठोर निगरानी,पारदर्शी प्रशासन और जागरूक नाग रिकों का समन्वित प्रयास आवश्यक है। प्रकृति कभी यह नहीं पूछती कि इमारत कितनी महंगी है, किस बिल्डर ने बनाई है या वह किस शहर में खड़ी है। वह केवल उसकी मजबूती और मानव की दूरदर्शिता की परीक्षा लेती है। वेनेजुएला का भूकम्प एक चेतावनी है-विकास की परिभाषा बदलने की। विकसित राष्ट्र वह नहीं होगा जिसके पास सबसे ऊंची इमारतें हों,बल्कि वह होगा जिसके पास सबसे सुरक्षित इमारतें, सबसे जिम्मेदार नगर नियोजन,सबसे संवेदनशील शासन और सबसे सजग नागरिक हों। क्योंकि आपदा आने के बाद राहत देना व्यवस्था की मजबूरी होती है,लेकिन आपदा आने से पहले तैयारी करना एक दूरदर्शी राष्ट्र की संस्कृति और जिम्मेदार शासन की पहचान है।

कैदी है कौन?

डॉ.सुनील सावन
कुशीनगर,
उत्तरप्रदेश

हवालात का हर कैदी अप राधी नहीं होता है। बन्दीगृह में बहुत से विचारक होते है,समाज सुधा रक होते हैं,देश भक्त होते हैं और होते हैं समाज सेवी। जिन साहित्य कारों का साहित्य उन्हें रास नहीं आता है उन साहित्यकारों को भी जेल की रोटियां तोड़नी पड़ती हैं। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी ने कारागार के भीतर कैदी और कोकिला नामक कविता रचते हुए देश की तात्कालिक स्थिति का यथार्थ चित्रण किया है। उन्होंने काली जंजीरों और काली दीवारों के प्रतीकों के माध्यम से देश की काली गुलामी का अद्भुत चित्र प्रस्तुत किया है। जब कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र ने अपने ओजस्वी शब्दों से आम आदमी को जगाने के लिए कलम उठाई तब अंग्रेजों को रास नहीं आया और उन्हें हवालात की हवा खानी पड़ी। बंदी गृह में बैठे-बैठे भवानी जी ने घर की याद नामक कविता लिख डाली। इस कविता में उन्होंने अपनों को याद करते हुए कैदखाने की भयावह स्थिति का भी जिक्र किया है। उन्होंने साफ़ शब्दों में लिखा है कि जिन्दगी में एक ऐसा वक्त भी आता है जब आदमी को आदमी से डर लगता है। वह नहीं चाहते हैं कि उनके घर वाले जेल की जहन्नुम सी जिन्दगी से वाक़िफ हों।

अपराध करके जेल जाना पाप है लेकिन हक के लिए लड़ते हुए जेल जाना पाप नहीं है। अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। सच का साथ सदैव देना चाहिए भले ही काला पानी की सजा हो जाए। यदि बापू जेल जाने से डर गये होते तो आज हम आजादी से कोसों दूर रहते। जेल वह पावन भूमि हैजहां कान्हा ने जन्म लिया था। इसीलिए हवालात में कभी चप्पल पहनकर प्रवेश नहीं किया जाता है। जेल वह संगम स्थल है जहां संत और शैतान का मिलन होता है। वहां का हर कैदी अपराधी नहीं होता है। कोई फंसा होता है तो कोई फंसाया गया होता है। सच पूछिए तो गेहूं के साथ घून पिसाया होता है। कभी-कभी अति का भला और भोला होना भी हवालात का कारण बन जाता है। जेल का लगभग हर कैदी मैत्री भाव से रहता है। एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते हुए जीवन काटता है। कुछ दिनों में या तो वह विक्षिप्त हो जाता है या दार्शनिक। वहां वह जीवन को करीब से महसूस कर पाता है। वह समझ जाता है-जीवन का महत्व, जीवन में सहनशीलता का महत्व। वह वहां रहकर इतना सुन लेता है कि जीवन में सुनने के लिए कुछ रह नहीं जाता है।

अर्धरात्रि में मच्छर हांकते हुए एक कैदी दूसरे कैदी से कहता है,जीवन में सुख-चैन से रहना है,तो सहना है। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने बहुत ही प्रेरक कहानी लिखी है-दो बैलों की कथा। हीरा और मोती नामक दोनों बैल कुछ पल के लिए कांजी हाउस में कैद हो जाते हैं। मेरी समझ से हीरा नरम दल का प्रतीक है और मोती गरम दल का। कांजी हाउस में कैद जानवरों की दयनीय दशा को देखकर दोनों विचलित हो जाते हैं। वह उन्हें आजाद करने की तरकीब सोचने लगते हैं,प्रयास करते हैं और सफल भी होते हैं। उनके अहर्निश अथक प्रयास से दीवार गिरते ही अधमरे से पड़े लगभग सभी जानवर चेत हो उठते हैं। लगभग सभी जानवर स्वतंत्र होने में सफल होते हैं लेकिन गधे टस से मस नहीं होते हैं क्योंकि वह अपनी सोच से गुलाम होते हैं- यहां से भागने से क्या फायदा? कहीं फिर पकड़ लिये गये तो?

कैदी सिर्फ वह नहीं है जो कारागार में कैद है अपितु कैदी वह भी है जो अपने संकीर्ण विचार में कैद है। तन के हवालात में मन है कैदी। मन के महबस में जीवन है कैदी। जीवन के समरांगण में कौन नहीं है कैदी। जो उन्मुक्त है,वही मुक्त है...

विवेक से काम लें,अयोध्या को आस्था का केंद्र रहने दें...

संजय गोस्वामी,पटना,बिहार

अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ अतः वहाँ आज आस्था की जगह कोर्ट,कटघरे का बाजार न बनाया जाय भगवान राम से बड़ा कौन न्याय कर सकता है आज बड़े और प्रसिद्ध मंदिरों में आने वाले चढ़ावे,दान और बहुमूल्य संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी, वित्तीय अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के मामले समय-समय पर सामने आते रहे हैं। कई मामलों में ट्रस्ट के सदस्यों, स्थानीय नौकरशाहों और कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों की मिलीभगत के आरोप लगते रहे हैं। मंदिर के पूर्व मुख्य लेखा प्रभारी महिपाल सिंह (जो जनवरी 2021 से अप्रैल 2022 तक कार्यरत थे) ने मीडिया के सामने आकर दावा किया कि दान की राशि की गिनती के दौरान हेराफेरी का एक संगठित खेल लंबे समय से चल रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्होंने एक बार ₹5 लाख की चोरी पकड़ी और इसकी शिकायत ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से की, तो उन्हें ही पद से हटा दिया गया। इस मामले की निष्पक्षता और गहराई से जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है, जिसमें पूरे मामले की कैग से जांच कराने और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। यह पता लगना बहुत जरूरी है कि इस चोरी के तार प्रबंधन या ट्रस्ट के किन बड़े चेहरों से जुड़े हैं। करोड़ों रामभक्तों की आस्था से जुड़े होने के कारण इस रिपोर्ट के अंतिम निष्कर्षों पर देश भर की निगाहें टिकी हैं। राम मंदिर की लंबी कानूनी और सांस्कृतिक लड़ाई में निर्मोही अखाड़ा, रामानंद संप्रदाय और अयोध्या के स्थानीय स्थापित संतों (जैसे जगद्गुरु रामानंदाचार्य, दिगंबर अखाड़े के संत आदि) ने सदियों तक संघर्ष किया। ट्रस्ट के गठन के समय

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

कई प्रमुख संतों को लगा कि उनके योगदान और पारंपरिक अधिकारों को दरकिनार कर दिया गया। संतों का तर्क है कि ट्रस्ट में आईएएस अधिकारियों (पूर्व और वर्तमान), राजनेताओं और संघ से जुड़े व्यक्तियों का प्रभाव अधिक है। उनका मानना है कि जब किसी धार्मिक संस्था में सत्ताधारी प्रशासनिक,सामाजिक और राजनीतिक वर्ग का नियंत्रण बहुत अधिक बढ़ जाता है,तो वहाँ की निर्णय प्रक्रिया में आध्यात्मिक चेतना के बजाय बाजार की विचारधारा हावी हो जाती है। हाल ही में मंदिर के चढ़ावे की चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के जो आरोप सामने आए हैं, उन्हें लेकर कुछ संतों का कहना है कि यदि ट्रस्ट में अयोध्या के पारंपरिक,विरक्त और निष्पक्ष संतों का व्यापक नियंत्रण होता,तो शायद इस तरह की राजनीतिक और प्रशासनिक सांठगांठ (नेक्सस) पनप ही नहीं पाती। वैचारिक रूप से देखा जाए तो संतों की यह चिंता जायज है कि धर्मस्थल का मूल चरित्र आध्यात्मिक होना चाहिए,न कि केवल राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई। जब ईश्वर के प्रति निश्छल श्रद्धा और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का घालमेल होने लगता है, तो नुकसान किसी एक दल या व्यवस्था का नहीं,बल्कि समाज के उस नैतिक ताने-बाने का होता है जो सदियों के भरोसे पर टिका है। एक आम श्रद्धालु मंदिर,मस्जिद या किसी भी पवित्र स्थान पर अपनी व्यक्तिगत शांति, मुक्ति और समर्पण की भावना से जाता है। लेकिन जब इन स्थानों को चुनावी विमर्श का मुख्य केंद्र बना दिया जाता है, तो श्रद्धा का यह एकांत और पवित्र रूप सामूहिक वोट बैंक में तब्दील होने लगता है। राजनीति का स्वभाव ही विभाजन और ध्रुवीकरण है,जबकि धर्म का मूल स्वभाव जोड़ना और भीतर से शांत करना है। दोनों का यह टकराव अंततः आस्था के मूल स्वरूप को ही चोट पहुँचाता है। जैसा कि हाल ही में राम मंदिर के चढ़ावे की हेराफेरी के आरोपों और एसआईटी की जांच से सामने आया है–जब किसी धार्मिक संस्थान का नियंत्रण आध्यात्मिक चेतना वाले संतों या निष्पक्ष समाज के बजाय राजनीतिक और प्रशासनिक सांठगांठ के हाथों में चला जाता है,तो वहाँ सेवा भाव की जगह बाजार भाव हावी हो जाता है। जब तक राजनेता और नौकरशाह किसी धार्मिक स्थल को अपनी शक्ति के प्रदर्शन या नियंत्रण के साधन के रूप में देखेंगे,तब तक वहाँ पारदर्शिता की उम्मीद करना बेमानी होगा। इतिहास गवाह है कि जब-जब सत्ता ने धर्म का सहारा अपनी नाकामियों को छिपाने या जनता को तात्कालिक रूप से रिझाने के लिए किया है,तब-तब समाज का वास्तविक कल्याण अर्थात लोकमंगल पीछे छूट गया है। बुनियादी सवाल–जैसे शिक्षा,स्वास्थ्य,नागरिक अधिकार और सामाजिक समरसता–धार्मिक प्रतीकों के शोर में दबा दिए जाते हैं। बुद्ध, कबीर, तुलसी और गांधी की इस भूमि पर धर्म हमेशा से सत्ता को मर्यादित करने और उसे नैतिक दायित्व यानी राजधर्म याद दिलाने का माध्यम रहा है। लेकिन आज की स्थिति इसके उलट दिखती है, जहाँ सत्ता स्वयं धर्म को अपनी सुविधानुसार संचालित और परिभाषित करने का प्रयास कर रही है। करोड़ों लोगों की निश्छल आस्था से खिलवाड़ को रोकने का एकमात्र रास्ता यही है कि नागरिक के तौर पर हम भी सजग हों–हम ईश्वर की शरण में श्रद्धा ज़रूर लेकर जाएं,लेकिन जब नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों की बात आए,तो प्रशासन और सत्ता से उनके हिस्से के तीखे सवाल पूछना चाहिए । आखिर राम मंदिर के निर्माण में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में इतने बड़े बड़े कारोबारी का आना भगवान राम को शोभा नहीं दिया होगा क्योंकि उन्होंने खुब जमकर चढ़ावा दिया होगा और ऐसे में उनके सेवक भी उसी रंग में रँग कर पूजा कर रहें होंगे क्योंकि आम गरीब का जाना उस समय वर्जित था जिसमें भगवान राम दीन दु:खियों में बसते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा भगवान राम को गरीब लोग ही मानते हैं कुछ बीमारी हुआ तो ईलाज के लिए पैसा नहीं है तो भगवान राम को याद करते हैं एक डेली रोजमर्रा के जीवन को संघर्ष में बिताते वही भगवान राम को ज्यादे याद करते हैं और भगवान राम उनकी रक्षा भी करते हैं क्योंकि वो भगवान राम के सामने रोते हैं मदद मांगते हैं और इसलिए भगवान राम उनकी रक्षा भी करते हैं ।

> जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो तो याद रखिये हवाई जहाज हवा के विरुद्ध उड़ान भरता है, उसके साथ नहीं।
>
> - हेनरी फोर्ड

लुप्त होते जुगनू...!

संजय एम तराणेकर
इन्दौर,
मध्यप्रदेश

अरे,कहाँ गए वे जुगनू सारे,
जो रातों को दीप जलाते थे।
खेतों, बागों व ताल किनारे,
चुपके-चुपके ही मुस्काते थे।

बचपन की गर्म हवाओं में,
उनकी वे झिलमिल यादें थीं।
अंधियारी पगडंडियों पर वो,
मानो छोटी-छोटी ज्योतें थीं।

अभी तो जंगल सूने लगते हैं,
ये नदियाँ भी कुछ मौन हुईं।
मिट्टी की वो भीगी-सी खुशबू,
ना जाने किस कोने में खोई।

बढ़ता प्रकाश, धुआँ, प्रदूषण,
सभी छीन रहे उनका संसार।
कीटनाशक की कड़वी बारिश,
कर जाती जीवन को लाचार।

यह जुगनू केवल कीट नहीं हैं,
प्रकृति के कोमल से प्रहरी हैं।
उनकी झिलमिल से ही सजती,
धरती की सुंदर गोद सुनहरी है।

आओ फिर से संकल्प करें हम,
प्रकृति की धरा का सम्मान करें।
जल, जंगल और मिट्टी बचाकर,
पुनः इन जुगनुओं का मान करें।

जिस दिन फिर से ये रात अँधेरी,
झिलमिल दीपों से भर जाएगी।
अपनी बचपन की खोई दुनिया,
फिर से इस धरती पर आएगी।

विश्व बदला,परिषद क्यों नहीं?

डॉ. प्रियंका सौरभ,हिसार,हरियाणा

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई,तब विश्व की राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक परिस्थितियाँ आज से बिल्कुल भिन्न थीं। उस समय की वैश्विक शक्ति-संरचना के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन किया गया, जिसमें पाँच देशों–अमेरिका, रूस (तत्कालीन सोवियत संघ),ब्रिटेन, फ्रांस और चीन–को स्थायी सदस्यता तथा वीटो का विशेषाधिकार प्रदान किया गया। उस दौर में यह व्यवस्था वैश्विक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त मानी गई थी। किंतु लगभग आठ दशक बाद विश्व पूरी तरह बदल चुका है। उपनिवेशवाद का अंत हो चुका है,अनेक नए राष्ट्र अस्तित्व में आ चुके हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र एशिया की ओर स्थानांतरित हो रहा है, और अंतरराष्ट्रीय राजनीति एकध्रुवीय से बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि विश्व बदल चुका है,तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना अब भी 1945 की वास्तविकताओं पर क्यों आधारित है?

आज सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग केवल ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने का प्रयास नहीं है, बल्कि उसकी वैधता, प्रतिनिधित्व और कार्यात्मक विश्वस नीयता को बनाए रखने की अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। रूस-यूक्रेन युद्ध,गाजा संकट,आतंकवाद,जलवायु परिवर्तन,साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी वैश्विक चुनौतियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान सुरक्षा परिषद अनेक मामलों में प्रभावी और समयानुकूल निर्णय लेने में असमर्थ दिखाई देती है। ऐसे समय में भारत की स्थायी सदस्यता का प्रश्न केवल राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का विषय नहीं,बल्कि वैश्विक शासन प्रणाली के लोकतंत्रीकरण और संतुलन का मुद्दा बन गया है।

भारत की दावेदारी अनेक ठोस आधारों पर स्थापित है। विश्व की सबसे बड़ी आबादी और सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला भारत आज वैश्विक राजनीति,अर्थव्यवस्था और कूटनीति का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में इसके शीर्ष तीन

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। डिजिटल नवाचार, अंतरिक्ष विज्ञान,हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवाओं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक निर्णय-निर्माण में सक्रिय और जिम्मेदार भागीदार के रूप में उभरा है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में भारत का योगदान उसकी विश्वसनीयता को और मजबूत करता है। भारत दशकों से हजारों सैनिकों,चिकित्सकों और पुलिसकर्मियों को विभिन्न शांति मिशनों में भेजता रहा है। अनेक भारतीय सैनिकों ने विश्व शांति की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। यह योगदान केवल सैन्य उपस्थिति नहीं,बल्कि अंतरराष्ट्रीय उत्तरदायित्व के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विडंबना यह है कि जो देश संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों को सबसे अधिक व्यवहार में लागू करता रहा है,वही आज भी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता से वंचित है।

भारत की विदेश नीति भी उसकी दावेदारी को सुदृढ़ करती है। वसुधैव कुटुम्बकम,सबका साथ,सबका विकास, सबका विश्वास और वन अर्थ,वन फैमिली,वन फ्यूचर जैसे विचार केवल नारे नहीं,बल्कि भारत की वैश्विक दृष्टि का प्रतिबिंब हैं। जी-20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को प्रमुखता दी और अफ्रीकी संघ को जी-20 की स्थायी सदस्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम तथा प्राकृतिक आपदाओं के समय मानवीय सहायता ने भारत की जिम्मेदार वैश्विक शक्ति की छवि को और सुदृढ़ किया।

यद्यपि भारत की दावेदारी अत्यंत मजबूत है,फिर भी सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया कई संरचनात्मक चुनौतियों से घिरी हुई है। सबसे पहली चुनौती संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन की है। इसके लिए महासभा में दो-तिहाई बहुमत के साथ-साथ वर्तमान पाँचों स्थायी सदस्यों की स्वीकृति भी आवश्यक है। अर्थात् जिस व्यवस्था में परिवर्तन होना है,उसी व्यवस्था के लाभार्थियों की सहमति भी अनिवार्य है। यही सुधार प्रक्रिया की सबसे बड़ी विडंबना है।

दूसरी बड़ी चुनौती वीटो व्यवस्था है। यदि नए स्थायी सदस्यों को वीटो अधिकार दिया जाता है,तो निर्णय प्रक्रिया और अधिक जटिल हो सकती है। यदि उन्हें वीटो नहीं दिया जाता,तो स्थायी सदस्यता समान अधिकारों वाली नहीं रह जाएगी। इस दुविधा पर अब तक कोई वैश्विक सहमति नहीं बन सकी है। रूस-यूक्रेन और गाजा जैसे मामलों में वीटो के कारण सुरक्षा परिषद की निष्क्रियता ने इस व्यवस्था की सीमाओं को उजागर किया है।

क्षेत्रीय राजनीति भी सुधार प्रक्रिया में बाधा बनती है। भारत की दावेदारी का पाकिस्तान विरोध करता है। जापान का चीन और दक्षिण कोरिया विरोध करते हैं, जबकि जर्मनी और ब्राज़ील को भी अपने-अपने क्षेत्रों में विरोध का सामना करना पड़ता है। इसी कारण यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस समूह स्थायी सदस्यता के विस्तार का विरोध करता है ।

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

अंबिकापुर बाल संप्रेक्षण गृह में व्यवस्था पर गंभीर सवाल

संविदा के भरोसे बाल संरक्षण!

चार महीने में दो फरारी, फिर भी नहीं जागा तंत्र

करोड़ों की योजना, कमजोर निगरानी और जवाबदेही से बचता प्रशासन

- संविदा कर्मियों को संवेदनशील संस्थाओं का प्रभार
- 4 महीने में 2 बार अपचारी बालक फरार
- अधीक्षक संस्थाओं में रहते नहीं, निगरानी कमजोर
- एक पद पर दो नियुक्ति, वेतन भुगताना के आरोप
- शिकायतें अनसुनी, जिम्मेदारों पर कार्रवाई शून्य

शासन से जांच और कार्रवाई की मांग तेज

चार महीने में दो बार अपचारी बालकों के फरार होने से हिली व्यवस्था

संवेदनशील संस्थाओं में नियमित राजपत्रित अधिकारियों की जगह संविदा कर्मियों को प्रभार देने पर उठ सवाल...

करोड़ों की मिशन वात्सल्य योजना,लेकिन बाल संरक्षण संस्थाएं संविदा प्रभारियों के हवाले!

अपचारी बालक भागते रहे...जिम्मेदारी कौन लेगा? अंबिकापुर बाल संप्रेक्षण गृह की व्यवस्था कटघरे में...

नियमित अधिकारी नहीं,संविदा प्रभारी चला रहे बाल संरक्षण व्यवस्था! दो फरारी के बाद बढ़ी जवाबदेही की मांग

बाल संप्रेक्षण गृह में सुरक्षा संकट...संविदा प्रभार व्यवस्था पर घिरा प्रशासन...

संवेदनशील संस्थाओं में संविदा का 'राज', बाल सुरक्षा से समझौते के आरोप

करोड़ों का बजट, लेकिन जिम्मेदारी संविदा कर्मियों पर! बाल संरक्षण व्यवस्था की पड़ताल

बाल संरक्षण व्यवस्था में बड़ा सवालः क्या संविदा प्रभारियों के भरोसे सुरक्षित हैं अपचारी बच्चे?

बाल सुरक्षा पर संविदा का पहरा! दो फरारी के बाद भी नहीं जागा तंत्र, मिशन वात्सल्य की व्यवस्था कठघरे में

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,29 जून 2026
(घटती-घटना)।

किसी भी सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने सबसे कमजोर और सबसे संवेदनशील वर्ग की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित करता है,बच्चों की सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारें हर वर्ष करोड़ों रुपये खर्च करती हैं,मिशन वात्सल्य (पूर्व आईसीपीएस) जैसी योजनाओं का उद्देश्य कानून से संघर्षरत और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को सुरक्षित वातावरण,परामर्श,शिक्षा,पुनर्वास और न्यायपूर्ण देखरेख उपलब्ध कराना है,लेकिन सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में इन उद्देश्यों पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगते दिखाई दे रहे हैं। पिछले चार महीनों में दो बार अपचारी बालकों के संप्रेक्षण गृह से फरार होने की घटनाओं ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है,बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं,अब चर्चा केवल सुरक्षा चूक तक सीमित नहीं रह गई है,बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर इतनी संवेदनशील संस्थाओं का संचालन नियमित राजपत्रित अधिकारियों के बजाय संविदा कर्मचारियों के भरोसे क्यों किया जा रहा है?

संविदा अधिकारी को जिला बाल संरक्षण अधिकारी का प्रभार-जानकारी के अनुसार जो संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत) के संविदा पद पर कार्यरत हैं,उन्हें जिला बाल संरक्षण अधिकारी का प्रशासनिक प्रभार सौंपा गया है, विभागीय जानकारों का कहना है कि पूर्व में जब बिलासपुर जैसे बड़े जिलों में जिला बाल संरक्षण अधिकारी का पद रिक्त हुआ,तब अतिरिक्त प्रभार जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी अथवा परियोजना अधिकारी जैसे नियमित राजपत्रित अधिकारियों को दिया जाता था,ऐसे में अंबिकापुर में संविदा अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपे जाने को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है,यदि कोई प्रशासनिक निर्णय विवादित होता है,वित्तीय अनियमितता सामने आती है या सुरक्षा में चूक होती है,तो अंतिम जवाबदेही किसकी होगी?

करोड़ों की योजनाएं, लेकिन प्रशासन संविदा के भरोसे?-

मिशन वात्सल्य के तहत बाल संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह, प्लेस ऑफ सेफ्टी, बाल गृह तथा अन्य संरक्षण संस्थाओं के संचालन के लिए हर वर्ष करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, बच्चों के भोजन, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, पुनर्वास, कर्मचारियों के वेतन और अन्य व्यवस्थाओं पर सरकारी धन खर्च होता है, ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि जब योजना करोड़ों रुपये की है तो उसका प्रशासनिक नेतृत्व नियमित और जवाबदेह अधिकारियों के हाथों में क्यों नहीं है? क्या संविदा कर्मियों को प्रशासनिक प्रभार देना केवल अस्थायी व्यवस्था है, या फिर इसे स्थायी रूप दे दिया गया है?

चार संस्थाओं का संचालन भी संविदा कर्मियों के भरोसे

सूत्रों के अनुसार स्थिति केवल जिला बाल संरक्षण कार्यालय तक सीमित नहीं है,बताया जा रहा है कि बाल संप्रेक्षण गृह (बालक),बाल संप्रेक्षण गृह (बालिका),विशेष गृह (बालक), विशेष गृह (बालिका),प्लेस ऑफ सेफ्टी जैसी अत्यंत संवेदनशील संस्थाओं में भी कई स्थानों पर परिवीक्षा अधिकारी जैसे संविदा कर्मचारी प्रभारी की भूमिका निभा रहे हैं,यह व्यवस्था बाल संरक्षण की गंभीरता के अनुरूप नहीं मानी जा रही।

चार महीने में दो बार फरारी—क्या यह महज संयोग है?-बीते चार महीनों में दो बार अपचारी बालकों के फरार होने की घटनाएं सामने आई हैं,यह कोई साधारण प्रशासनिक त्रुटि नहीं है,ऐसे बच्चे न्यायिक प्रक्रिया के अधीन होते हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह शासन की होती है,यदि लगातार सुरक्षा में सेंध लग रही है तो यह केवल किसी एक कर्मचारी की गलती नहीं,बल्कि पूरी निगरानी व्यवस्था की विफलता का संकेत माना जाएगा।

2021 की घटना भी नहीं बनी सबक-सूत्रों के अनुसार वर्ष 2021 में भी सूरजपुर-भैयाथान क्षेत्र का एक बालक संस्था से फरार हुआ था,आरोप है कि उस समय भी जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, यदि वर्षों से ऐसी घटनाएं दोहराई जा रही हैं और प्रत्येक बार मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है, तो यह प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है।

नियम कहते हैं-अधीक्षक संस्था में रहेगा,लेकिन पालन कौन कराएगा?-जानकारों का कहना है कि नियमों के अनुसार संस्था अधीक्षक का निवास परिसर में होना चाहिए ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल हस्तक्षेप किया जा सके,लेकिन आरोप है कि अंबिकापुर की किसी भी शासकीय बाल संरक्षण संस्था में अधीक्षक या प्रभारी अधीक्षक संस्था परिसर में निवास नहीं करते,यदि यह तथ्य सही है तो रात के समय निगरानी,आकस्मिक निरीक्षण और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होना स्वाभाविक है।

नियुक्तियों में भी अनियमितता के आरोप-सूत्रों के अनुसार बाल संप्रेक्षण गृह बालक में शासन द्वारा केवल एक परिवीक्षा अधिकारी का पद स्वीकृत था,इसके बावजूद दो लोगों की नियुक्ति कर वेतन भुगतान किए जाने की शिकायत सामने आई है,अब जबकि एक परिवीक्षा अधिकारी के त्यागपत्र देने की जानकारी मिल रही है,यह सवाल उठ रहा है कि अतिरिक्त नियुक्ति किस आधार पर हुई? यदि अतिरिक्त वेतन भुगतान हुआ तो उसकी प्रशासनिक और वित्तीय जिम्मेदारी किसकी है?

क्या शिकायतों का भी कोई परिणाम नहीं निकलता?

बताया जा रहा है कि कर्मचारियों और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर शिकायतें उच्च स्तर तक भेजी गईं,लेकिन अब तक किसी ठोस कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई,यदि शिकायतें केवल फाइलों में दबकर रह जाएं तो फिर निगरानी तंत्र की उपयोगिता पर भी प्रश्न उठना स्वाभाविक है।

सबसे बड़ा सवाल-क्या बाल संरक्षण व्यवस्था जवाबदेही से मुक्त है?

आज पूरा मामला केवल अंबिकापुर का नहीं रह गया है, यदि पूरे प्रदेश में बाल संरक्षण संस्थाओं का संचालन इसी प्रकार संविदा व्यवस्था और अतिरिक्त प्रभार के सहारे हो रहा है तो शासन को इसकी व्यापक समीक्षा करनी चाहिए, यहां रहने वाले बच्चे अपराधी नहीं,बल्कि कानून के तहत संरक्षण और सुधार के अधिकार वाले किशोर हैं। उनकी सुरक्षा से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता।

जिन सवालों का जवाब सरकार और विभाग को देना चाहिए...

- करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद नियमित जिला बाल संरक्षण अधिकारी क्यों नहीं?
- संविदा कर्मियों को प्रशासनिक प्रभार किस नियम और आदेश के तहत दिया गया?
- चार महीने में दो बार बालक फरार होने की जिम्मेदारी किसकी तय हुई?
- क्या सुरक्षा चूक के बाद किसी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई हुई?
- अधीक्षक संस्था परिसर में क्यों नहीं रहते?
- एक स्वीकृत पद पर दो नियुक्तियां और वेतन भुगतान कैसे हुआ?
- क्या पूरे प्रदेश के बाल संरक्षण संस्थानों का सामाजिक एवं वित्तीय ऑडिट कराया जाएगा?
- क्या मिशन वात्सल्य की गाइडलाइन का पालन वास्तव में हो रहा है या केवल कागजों में?

शासन से अपेक्षा

मामला बच्चों की सुरक्षा,न्यायिक व्यवस्था और सरकारी जवाबदेही से जुड़ा है। इसलिए आवश्यक है कि महिला एवं बाल विकास विभाग तथा राज्य शासन इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय,निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराए,यदि कहीं प्रशासनिक लापरवाही, नियमों का उल्लंघन या वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।

आम बीन रहे बच्चों पर गिरी आकाशीय बिजली,मासूम समेत 3 की मौत...

स्कूल मैदान में पेड़ के नीचे खड़े थे बच्चे, एक छात्रा गंभीर रूप से झुलसी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,29 जून 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के धौरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम डुमकी के खुरीपारा में सोमवार दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से 5 वर्षीय मासूम,9वीं की छात्रा और एक युवक की मौत हो गई। वहीं मासूम की बड़ी बहन गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है।

जानकारी के अनुसार,दोपहर में मौसम अचानक बदला और गरज-चमक के साथ तेज हवा चलने लगी। स्कूल मैदान में लगे आम के पेड़ से फल गिरने पर 5 वर्षीय सागर,उसकी 12 वर्षीय बहन श्रद्धा और बलरामपुर जिले के दुप्पी गांव निवासी 14 वर्षीय रानी आम बीन रहे थे। इसी दौरान पास में रामसाय बरगाह (36) मवेशी चरा रहा था। तभी तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली गिरी और चारों इसकी चपेट में आ गए। हादसे में सागर, रानी और रामसाय की मौके पर ही मौत हो गई,जबकि श्रद्धा गंभीर रूप से झुलस गई। सूचना मिलते ही ग्रामीण सभी को धौरपुर अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया, जबकि श्रद्धा को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर किया गया।

रिश्तेदार के घर आई थी छात्रा

मृत छात्रा रानी बलरामपुर जिले के दुप्पी गांव की रहने वाली थी। वह रिश्तेदारों के यहां घूमने आई थी। हादसे की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मासूम और छात्रा के शव देखकर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

पिकअप की टक्कर से सड़क पर गिरे तीन युवक,पीछे से आए ट्रक ने दो को कुचला,मौत

दशकर्म की सूचना देकर लौट रहे थे तीनों,हेलमेट पहनने से एक युवक की बची जान,फरार वाहनों की तलाश में जुटी पुलिस

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,29 जून 2026
(घटती-घटना)।

अंबिकापुर-रायगढ़ नेशनल हाईवे-43 पर बतौली थाना क्षेत्र के ग्राम बासेन के पास रविवार रात हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ,जब पीछे से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही तीनों युवक सड़क पर गिर पड़े। इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने दो युवकों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद पिकअप और ट्रक चालक वाहन समेत फरार हो गए। जानकारी के अनुसार, बतौली क्षेत्र के मानपुर निवासी अकल साय (25), नान्हू गोंड़ (30) और जयप्रकाश गोंड़ (35) रविवार को अपनी बड़ी मां के दशकर्म कार्यक्रम की सूचना देने

रायगढ़ जिले के ग्राम कापू गए थे। देर शाम तीनों बाइक क्रमांक सीजी 15 डीडब्ल्यू 1719 से अपने गांव लौट रहे थे। रात करीब साढ़े आठ बजे वे ग्राम बासेन के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से आ रही तेज रफ्तार अज्ञात पिकअप ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही तीनों युवक सड़क पर जा गिरे। इसी दौरान अंबिकापुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर गिरे नान्हू गोंड़ और जयप्रकाश गोंड़ को कुचल दिया। दोनों के सिर पर ट्रक का पहिया चढ़ जाने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि दोनों के शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गए। वहीं तीसरा युवक अकल साय गंभीर रूप से घायल हो गया।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस : घटना की सूचना मिलते ही बतौली पुलिस और सीतापुर एसडीओपी राजेंद्र मंडावी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायल युवक को तत्काल एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर भेजा, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए बतौली अस्पताल की मर्च्यूरी में रखवाया गया। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। हादसे की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में मातम छा गया।

हेलमेट ने बचाई युवक की जान : पुलिस के अनुसार घायल अकल साय ने हेलमेट पहन रखा था। दुर्घटना के दौरान सिर सुरक्षित रहने से उसकी जान बच गई, हालांकि उसे गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस का मानना है कि हेलमेट नहीं होता तो हादसा और भी जानलेवा साबित हो सकता था।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस : दुर्घटना के बाद पिकअप और ट्रक चालक वाहन समेत फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। नेशनल हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि दुर्घटना में शामिल दोनों वाहनों की पहचान कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जा सके।

भव्य रथ यात्रा की तैयारियां तेज,सेवा समिति व उत्कल समाज की बैठक में बनी रणनीति

16 जुलाई को निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा,धार्मिक अनुष्ठानों की रूपरेखा तय

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,29 जून 2026
(घटती-घटना)।

भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की आगामी रथ यात्रा के सफल आयोजन को लेकर जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति एवं उत्कल समाज की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में रथ यात्रा से जुड़े धार्मिक अनुष्ठानों,सेवा कार्यों,सुरक्षा, स्वच्छता,यातायात व्यवस्था तथा श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। विभिन्न समितियों की जिम्मेदारियां तय

करते हुए आयोजन को सुव्यवस्थित एवं भव्य बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि इस वर्ष की रथ यात्रा पारंपरिक वैदिक रीति-रिवाजों के अनुरूप आयोजित की जाएगी। समिति ने नगरवासियों एवं श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की। समिति के अनुसार 29 जून को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं माता सुभद्रा का 108 पवित्र कलशों से महाभिषेक एवं स्नान यात्रा होगी। इसके बाद भगवान गजानन वेष में भक्तों को दर्शन देंगे।

30 जून से 14 जुलाई तक अनसर काल के दौरान मंदिर के पट बंद रहेंगे। 14 जुलाई को नेत्रोत्सव एवं नवयौवन दर्शन आयोजित होगा, जबकि 15 जुलाई को उमा यात्रा एवं रथ आज्ञामाला बीजे की परंपरागत रस्में संपन्न होंगी। मुख्य आयोजन 16 जुलाई को होगा। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर भ्रमण करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। बैठक में प्रमुख रूप से मनोज कंसारी, अशोक सामल, लव कुशवाहा, राजू कंसारी, उमेश मिश्रा, विनोद कंसारी, संतोष कंसारी, कृष्ण कंसारी, ननकू, जगदीश गुप्ता, राहुल सिंह, जेना जी, गोलू यादव, विनोद मिश्रा, राजा पंडा, सौरभ, आलोक, अभिमन्यु, गिरधारी, भृगु कंसारी उपस्थित रहे।

रामगढ़ महोत्सव-2026: 50 साल की परंपरा के बाद भी अधूरी है विरासत को पहचान दिलाने की कहानी...

भव्य आयोजन,रामलीला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच बड़ा सवाल-क्या रामगढ़ सिर्फ महोत्सव तक सीमित रहेगा या बनेगा अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र?

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,29 जून 2026 (घटती-घटना)।

आषाढ़ मास के प्रथम दिवस पर सरगुजा की ऐतिहासिक धरोहर रामगढ़ में शुरू हुआ दो दिवसीय रामगढ़ महोत्सव-2026 एक बार फिर संस्कृति, इतिहास और साहित्य के संगम का गवाह बना। मंच सजा, कलाकारों ने प्रस्तुति दी, रामलीला ने दर्शकों को भाव-विभोर किया और नेताओं ने रामगढ़ की गौरवशाली पहचान को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के संकल्प दोहराए।

लेकिन इस भव्य आयोजन के बीच एक बड़ा सवाल भी खड़ा है...

क्या रामगढ़ की पहचान केवल दो दिन के महोत्सव तक सीमित रह गई है? 50 वर्ष पूरे कर चुका रामगढ़ महोत्सव आज भी अपने मूल उद्देश्य को तलाश रहा है। जिस रामगढ़ को प्राचीन रंगमंच, पुरातात्विक धरोहर और साहित्यिक परंपरा का केंद्र बताया जाता है, वह आज भी पर्यटन सुविधाओं, बेहतर प्रचार-प्रसार और स्थायी विकास की राह देख रहा है।

इतिहास की संपदा,विकास की चुनौती

रामगढ़ केवल सरगुजा की नहीं बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यहां स्थित सीताबेंगरा गुफा को विश्व की प्राचीनतम रंगशालाओं में शामिल किया जाता है। जोगीमारा गुफा की ऐतिहासिकता, रामगढ़ पर्वत श्रृंखला और अन्य पुरातात्विक स्थल इस क्षेत्र को विशेष पहचान देते हैं। मान्यता है कि भगवान श्रीराम ने वनवास काल में इस क्षेत्र में समय बिताया था। वहीं साहित्य जगत में भी रामगढ़ का नाम महाकवि कालिदास की रचना मेघदूतम् से जोड़ा जाता है। इतनी समृद्ध विरासत होने के बावजूद यह क्षेत्र अभी तक देश-विदेश के बड़े पर्यटन स्थलों की सूची में अपेक्षित स्थान नहीं बना पाया है।

मंच से हुए बड़े दावे...

रामगढ़ महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रामगढ़ महोत्सव लोक संस्कृति, इतिहास, पुरातत्व और पर्यटन का संगम है तथा इसे राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने महोत्सव के 50 वर्ष पूरे होने पर बधाई देते हुए कहा कि रामगढ़ को पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वहीं सांसद चिंतामणि महाराज ने रामगढ़ को भारत की प्राचीन सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि सीताबेंगरा,जोगीमारा,राम-जानकी मंदिर और हाथीपोल जैसे स्थल विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपनी जगह बना सकते हैं। लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने भी कहा कि रामगढ़ धार्मिक आस्था के साथ-साथ ऐतिहासिक और साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है।

लेकिन जमीनी हकीकत क्या कहती है?

सरकारी मंचों से हर वर्ष रामगढ़ की अंतरराष्ट्रीय पहचान की बात कही जाती है,लेकिन स्थानीय स्तर पर कई चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। पर्यटकों के लिए बेहतर सड़क सुविधा,नियमित प्रचार अभियान,गाइड व्यवस्था,स्वच्छता,पेयजल, सुरक्षा और ठहरने की सुविधाओं का विस्तार अभी भी जरूरी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि रामगढ़ को वास्तव में पर्यटन केंद्र बनाया जाए तो इससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। होटल, स्थानीय हस्तशिल्प,परिवहन और ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकता है।

पहले दिन संस्कृति का दिखा शानदार रंग : महोत्सव के पहले दिन नई दिल्ली से आए कलाकारों ने भव्य रामलीला का मंचन किया। भगवान श्रीराम के जीवन प्रसंगों को प्रभावी अभिनय, आकर्षक वेशभूषा और संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। दर्शकों ने कलाकारों की जमकर सराहना की। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय उदयपुर की छात्राओं ने 'जटायु मोक्ष' पर आधारित नृत्य-नाटिका प्रस्तुत की। छात्राओं के अभिनय और भावपूर्ण प्रस्तुति ने दर्शकों को भावुक कर दिया। कवि सम्मेलन में देशभक्ति, सामाजिक सरोकार, हास्य और व्यंग्य से जुड़ी कविताओं ने लोगों का मनोरंजन किया। स्थानीय कलाकारों ने सरगुजिहा लोकनृत्य, करमा और पारंपरिक गीतों से क्षेत्र की संस्कृति की झलक पेश की।

स्थानीय कलाकारों को मिला मंच, लेकिन स्थायी अवसर जरूरी

महोत्सव में स्थानीय कलाकारों को मंच देना सकारात्मक पहल है,लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इन कलाकारों को सालभर अवसर मिलेंगे? क्या सरगुजा की लोक कला को स्थायी पहचान दिलाने के लिए कोई बड़ा प्रयास होगा?

जनता की उम्मीद : महोत्सव से आगे बढ़े विकास की कहानी

रामगढ़ महोत्सव निश्चित रूप से सरगुजा की पहचान को मजबूत करता है,लेकिन अब जरूरत है कि यह आयोजन केवल उत्सव बनकर न रह जाए। जरूरत है कि रामगढ़ के लिए एक दीर्घकालिक पर्यटन योजना बने,जिसमें धरोहर संरक्षण,सुविधाओं का विस्तार और स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। रामगढ़ की पहचान इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, अब चुनौती यह है कि वर्तमान में भी उसे वही सम्मान और सुविधाएं मिलें।

नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल

रघुनाथनगर पुलिस की त्वरित कार्रवाई,पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज

संवाददाता-
रघुनाथनगर,29 जून 2026 (घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले के रघुनाथनगर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर घर से ले जाने और उसके साथ गलत काम करने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता के पिता ने 28 जून 2026 को रघुनाथनगर थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 27 जून की रात परिवार के लोग खाना खाने के बाद अपने आवास में सो गए थे। देर रात जब पानी पीने के लिए घर पहुंचे तो देखा कि उनकी नाबालिग बेटी

घर में मौजूद नहीं थी। परिजनों ने रातभर उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। सुबह लड़की के मिलने के बाद उसने परिजनों को बताया कि गांव के ही युवक नंदू अगरिया पिता माधव राम अगरिया, उम्र 23 वर्ष, निवासी जनकपुर थाना रघुनाथनगर, जिला बलरामपुर ने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और जंगल की ओर ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए रघुनाथनगर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 71/2026 दर्ज किया। आरोपी के खिलाफ धारा 137(2), 64(2)(ड) बीएनएस एवं धारा 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश कर उसे 29 जून 2026 को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी नंदू अगरिया को विधिवत न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड मिलने के बाद उसे रामानुजगंज जेल दाखिल कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है और प्रकरण से जुड़े अन्य पहलुओं की भी गंभीरता से पड़ताल की जा रही है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से आरोपी पहुंचा सलाखों के पीछे, मामले में आगे की जांच जारी।

इंस्टाग्राम से दोस्ती के बाद शादी का झांसा...मारपीट कर घर से निकाला,पुलिस ने आरोपियों को भेजा जेल

संवाददाता-
शंकरगढ़,29 जून 2026 (घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई दोस्ती के बाद शादी का झांसा देकर युवती के साथ संबंध बनाने और बाद में मारपीट कर घर से निकालने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने थाना शंकरगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वर्ष 2025 में उसकी पहचान कमिल यादव से इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। बातचीत के दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। कमिल यादव ने पीड़िता से शादी करने की बात कहते हुए उससे मिलने उसके गांव आया और शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। पीड़िता के अनुसार दिसंबर 2025 में जब कमिल यादव के माता-पिता को इस संबंध की जानकारी हुई तो उसके पिता, भाई और अन्य रिश्तेदार पीड़िता के घर पहुंचे और 'हमारा लड़का तुमसे शादी करना चाहता है, हमारे साथ चलो' कहकर उसे अपने साथ ले गए। इसके बाद मार्च 2026 के बाद कमिल यादव, उसके माता-पिता और भाई द्वारा पीड़िता के साथ मारपीट की जाने लगी और उसे घर से निकाल दिया गया। पीड़िता की शिकायत पर थाना शंकरगढ़ में अपराध क्रमांक 70/2026 दर्ज कर धारा 69, 89, 115(2), 351(2), 3(5) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। विवेचना के दौरान पुलिस को आरोपी कमिल यादव के विरुद्ध अपराध के पर्याप्त साक्ष्य मिले, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार करने पर उसे 12 जून 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। मामले की आगे की जांच में अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। अपराध में संलिप्तता पाए जाने पर तीनों आरोपियों को 29 जून 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस मामले की आगे की विवेचना कर रही है।

इलाज के दौरान अधेड़ की मौत परिजनों ने जताई मारपीट की आशंका

मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तोड़ा दम, पुलिस ने मर्ग कायम कर शुरू की जांच

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,29 जून 2026 (घटती-घटना)।

लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम तिरकेला (ठेपपारा) निवासी 45 वर्षीय एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने मारपीट में लगी चोटों के कारण मौत होने की आशंका जताई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, ग्राम तिरकेला निवासी कामेश्वर मझवार (45) की तबीयत बिगड़ने पर 26 जून को लखनपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर कर दिया। इलाज के दौरान 27 जून की सुबह करीब 4 बजे उसकी मौत हो गई। शव गांव लाने के बाद मृतक के छोटे भाई धुंधुराम मझवार ने पुलिस को सूचना देकर आशंका जताई कि किसी के साथ हुई मारपीट में लगी चोटों के कारण उसके भाई की मौत हुई है। सूचना पर लखनपुर थाना पुलिस ने धारा 194 बीएनएसएस के तहत मर्ग कायम कर शव का पंचनामा कराया।

हादसे के बाद पूरी रात सड़क पर पड़ा रहा युवक,सुबह हो गई मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,29 जून 2026 (घटती-घटना)।

मेन्ड्राकला स्थित सैनिक स्कूल के पास 28 जून की रात को अनियंत्रित होकर बाइक से गिरने से युवक की मौत हो गई। वह अपने पड़ोस के युवक की बारात जाने निकला था। हादसे के बाद पूरी रात सड़क पर पड़ा रहा। सूचना पर परिजन सुबह मौके पर पहुंचे और इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाए। यहां जांच के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार धीरज बरवा पिता दुजा बरवा उम्र 19 वर्ष सकालो थाना गांधीनगर का रहने वाला था। इसके घर के बगल में पड़ोस के लड़के की शादी थी। 28 जून की शाम को वह बाइक क्रमांक सीजी 14 एमआर 0233 से ग्राम सपना बारात जाने निकला था। रात को मेन्ड्राकला स्थित सैनिक स्कूल के पास बाइक अनियंत्रित हो जाने से वह सड़क पर गिर गया। जब वह घर वापस नहीं लौटा तो परिजन उसके मोबाइल पर कॉल किए पर रिसिव नहीं हुआ। सोमवार की सुबह जब परिजन उसके मोबाइल पर पुनः कॉल किए तो एक व्यक्ति उसके मोबाइल को रिसिव कर बताया कि वह घायल अवस्था में सैनिक स्कूल के पास पड़ा है। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाए।

नाम सुधार सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री ऐनी सृष्टि तिग्गा/ANNIE SHRISTI TIGGA पिता का नाम मार्शल, पता भगवानपुर पोस्ट राघवपुरी थाना गाँधीनगर, तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 की स्थायी निवासी है। मेरी पुत्री के आधार संख्या 2936 5799 1782 में उसका नाम एनी श्रीशल्य तिग्गा/ENI SHRISHALYA TIGGA अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। मेरी पुत्री का सही नाम ऐनी सृष्टि तिग्गा / ANNIE SHRISTI TIGGA है जो उसके समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में अंकित है। मैं यह घोषणा करती हूँ कि मेरी पुत्री को उसके गलत नाम एनी श्रीशल्य तिग्गा / ENI SHRISHALYA TIGGA के जगह पर वास्तविक नाम ऐनी सृष्टि तिग्गा / ANNIE SHRISTI TIGGA के नाम से जाना व पहचाना जावे तथा समस्त अभिलेखों में दर्ज किया जावे।

स्थान- अम्बिकापुर
दिनांक- 29006-2026

भवदीय
अनिमा शांता मिंज
मो0 नं0- 9406029971

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार -2 अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,(छ0ग0)

रा0प्र0क0 /अ-27/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका प्रियंका दास पत्नि श्री राधे दास पुत्री कृष्णा दास, निवासी रविन्द्र नगर अजब नगर, तहसील लटोरी जिला सूरजपुर छ0ग0 द्वारा द्वारा ग्राम नेहरूनगर स्थित भूमि खसरा न0 198/3, 199/3, 201/2, 202/3 कुल खसरा नंबर 04 कुल रकबा 0.940 हे0 भूमि का अनावेदिका अनिता दास पत्नी स्व. कृष्णा दास व अन्य, निवासी ग्राम नेहरूनगर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के मध्य खाता विभाजन कराने बावत् आवेदन छ0ग0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के तहत् प्रस्तुत की गई है।

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 17/07/2026 के पूर्व न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 24/6/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील

अतिरिक्त तहसीलदार,
अम्बिकापुर-2

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक नरेश कुमार आ.स्व. जीवन राम अग्रवाल, उम्र- 65 वर्ष, जाति- अग्रवाल निवासी ब्रम्ह मंदिर के पास ब्रम्हपारा अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदक एवं अनावेदक कृष्ण कुमार आ.स्व. जीवन राम अग्रवाल, उम्र-73 वर्ष, निवासी राम मंदिर रोड़ ब्रम्ह वार्ड अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) के संयुक्त स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अम्बिकापुर, शीट नं. 11क मोहल्ला- राम मंदिर मैदान स्थित नजूल भूमि प्लॉट नंबर 3196/4813/119 रकबा 0.03$^{1/2}$ भूमि स्थित है। उक्त भूखण्ड में से अनावेदक द्वारा रकबा 0.01$^{3/4}$ एकड़ भूमि का पंजीकृत हकत्याग विलेख दिनांक 26.05.2026 का निष्पादन आवेदक के पक्ष में किया गया है। अतः उक्त पंजीबद्ध हकत्याग विलेख के आधार पर आवेदित भूमि से अनावेदक का नाम विलोपित कर सम्पूर्ण रकबे पर आवेदक द्वारा स्वयं का नाम दर्ज किये जाने हेतु पंजीबद्ध हकत्याग विलेख की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 10/ 07/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक- 24/06/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सील

नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

नाम परिवर्तन सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, अयान कुमार जायसवाल पिता अरविंद कुमार जायसवाल, निवासी रेस्ट हाउस के सामने, हाई स्कूल रोड, पोस्ट प्रतापपुर, जिला सूरजपुर (497223), ने अपना पुराना नाम 'अयान कुमार जायसवाल' बदलकर आयान जायसवाल कर लिया है। इसलिए, भविष्य में सभी सरकारी और अन्य दस्तावेजों में मुझे मेरे नए नाम अयान जायसवाल पिता-अरविंद कुमार जायसवाल से पहचाना जाए।

अयान जायसवाल
रेस्ट हाउस के सामने, हाई स्कूल रोड
पोस्ट प्रतापपुर,जिला सूरजपुर

नाम परिवर्तन सूचना

प्ररूप-(एक)

मैं सुमती पत्नी ओमप्रकाश गाँव/शहर बखरी पारा, वार्ड नं.-04, करतमा, पोस्ट- सिलफिली तहसील सूरजपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ यह सूचना देती हूँ कि मेरी नाबालिग पुत्री का नाम पलक (पुराना नाम) से बदल कर पलक पैकरा (नया नाम) रख लिया है।

पालक
सुमती पत्नी ओमप्रकाश गाँव/शहर बखरी पारा, वार्ड नं.-04, करतमा, पोस्ट- सिलफिली तहसील सूरजपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

नाम परिवर्तन सूचना

प्ररूप-(एक)

मैं सुमती (पुराना नाम, जिसे बदला जाना है) पत्नी ओमप्रकाश गाँव/शहर बखरी पारा, वार्ड नं.-04, करतमा, पोस्ट- सिलफिली तहसील सूरजपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ ने अपना नाम सुमती (पुराना नाम) से बदल कर सुमंत्री (नया नाम) रख लिया है।

आवेदक
सुमती पत्नी ओमप्रकाश गाँव/शहर बखरी पारा, वार्ड नं.-04, करतमा, पोस्ट- सिलफिली तहसील सूरजपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

विश्वसनीयता की एक पहचान
सरगुजा मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र
मत्स्य पालन कर लाएं कमाये मत्स्य किसान
रूपचंदा
स्वस्थ बीज उज्जवल भविष्य लाभदायक व्यवसाय
छत्तीसगढ़ से मान्यता प्राप्त...
उपलब्ध मछली प्रजाति
कतला रेहू मिर्गल ग्रास कार्प सिल्वर कार्प कामन कार्प
हमारी विशेषताएं
गुणवत्तापूर्ण स्वस्थ बीज
वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन
उच्च जीवितता दर
मत्स्य पालनन के लिए उपयुक्त
किसानों के लिए उत्तम मार्गदर्शन
उचित मूल्य पर उपलब्ध
संपर्क करें
के.आर. टेक्निकल कॉलेज के पीछे, प्रतापपुर रोड, अंबिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)
संचालक: राजेन्द्र दुबे 98266-03533
62660-97488 (रिंकू चौधरी) | 96690-58335 (निखंन मण्डल)
स्वस्थ बीज, अधिक उत्पादन – खुशहाल किसान, समृद्ध भारत
Advt- 22.06.2026-1

13 दिन बाद भी न्याय की राह देख रहा नौगई कांड का पीड़ित परिवार

मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद सरकार का निर्णय नहीं,न्याय की आस में परिजन

13 दिन बाद भी अधूरा न्याय,सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा पीड़ित परिवार,तेरहवीं संपन्न,लेकिन सरकार के फैसले का अब भी इंतजार

-रवि सिंह-

कोरिया/सोनहत,29 जून 2026 (घटती-घटना)।

सोनहत थाना क्षेत्र के ग्राम नौगई में 16 और 17 जून की दरमियानी रात हुए जघन्य तिहरे हत्याकांड को आज 13 दिन पूरे हो चुके हैं,इन तेरह दिनों में गांव ने तीन अर्थियां उठते देखीं, परिवार ने अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार किया, दशगात्र और अब तेरहवीं संस्कार की रस्म भी पूरी हो गई,लेकिन समय बीतने के साथ जिस चीज का इंतजार सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है,वह है न्याय,शोक की सभी धार्मिक और सामाजिक परंपराएं पूरी हो चुकी हैं, पर पीड़ित परिवार की सबसे बड़ी मांग–सीबीआई जांच– पर अब तक राज्य सरकार की ओर से कोई स्पष्ट निर्णय सामने नहीं आया है,घटना के बाद से लेकर आज तक पीड़ित परिवार का रुख नहीं बदला है,परिवार लगातार यही कह रहा है कि यदि इस पूरे प्रकरण की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी,विशेषकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई),से कराई जाएगी,तभी घटना के पीछे की वास्तविक सच्चाई सामने आ सकेगी और जनता का विश्वास भी कायम रहेगा।

नौगई तिहरे हत्याकांड के 13 दिन बीत चुके हैं, अंतिम संस्कार से लेकर तेरहवीं तक की सभी सामाजिक और धार्मिक रस्में पूरी हो गईं, लेकिन न्याय की प्रक्रिया अभी भी अधूरी प्रतीत होती है। पीड़ित परिवार आज भी उसी मांग पर कायम है,जिससे उसने पहले दिन अपनी बात शुरू की थी–सीबीआई जांच, इसके साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई, गवाहों की सुरक्षा,निष्पक्ष विवेचना और दोषियों को शीघ्र कठोर सजा दिलाने की मांग भी लगातार दोहराई जा रही है,अब सबकी निगाहें राज्य सरकार पर हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद सरकार सीबीआई जांच की मांग पर क्या निर्णय लेती है। क्योंकि तेरह दिन बाद भी पीड़ित परिवार के लिए सबसे बड़ा प्रश्न वही है–क्या उन्हें न्याय मिलेगा, और यदि मिलेगा तो कब?

एक ही परिवार पर टूटा था दुःखों का पहाड़- 16 जून की रात नौगई गांव में जो कुछ हुआ, उसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया,आरोप है कि पुराने विवाद के चलते एक ही परिवार के पांच लोगों पर जानलेवा हमला किया गया,इस हमले में लाला सिंह की वाहन सहित जिंदा जलकर मौत हो गई,वीरेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल होने के बाद अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान दम तोड़ बैठे, नागिन सिंह लगभग 80 प्रतिशत तक झुलस गए थे और रायपुर ले जाते समय उनकी भी मृत्यु हो गई, वहीं मयंक सिंह और योगेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हुए,दोनों का उपचार अभी भी जारी है, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत और दो लोगों का गंभीर रूप से घायल होना पूरे क्षेत्र के लिए अत्यंत दर्दनाक घटना रही।

तेरहवीं पूरी,लेकिन न्याय का इंतजार जारी- मृतकों की तेरहवीं का कार्यक्रम परिजनों ने पूरे रीति-रिवाज के साथ संपन्न कर लिया है, गांव और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए और दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की, लेकिन तेरहवीं की रस्म पूरी होने के बाद भी परिवार की आंखों में सुकून नहीं दिख रहा,उनका कहना है कि अंतिम संस्कार की परंपराएं पूरी हो गई हैं, लेकिन न्याय की प्रक्रिया अभी अधूरी है,जब तक पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होगी और दोषियों को कठोर सजा नहीं मिलेगी,तब तक उन्हें मानसिक शांति नहीं मिलेगी।

परिजनों की एकमात्र मांग—सीबीआई जांच- घटना के पहले दिन से ही पीड़ित परिवार की सबसे बड़ी मांग सीबीआई जांच रही है, परिजनों का कहना है कि यह केवल हत्या का मामला नहीं,बल्कि एक अत्यंत गंभीर और सुनियोजित वारदात है,ऐसे मामलों में जांच किसी ऐसी एजेंसी से होनी चाहिए, जिस पर सभी पक्षों को समान रूप से विश्वास हो,परिवार का मानना है कि यदि जांच सीबीआई करेगी तो घटना के पीछे की पूरी साजिश,सभी जिम्मेदार लोगों की भूमिका और यदि कहीं किसी स्तर पर कोई चूक या मिलीभगत हुई है तो वह भी सामने आ सकेगी, इसी कारण आज भी उनकी पहली और अंतिम मांग सीबीआई जांच ही है।

परिजनों ने प्रशासन का पूरा सहयोग किया- घटना के बाद से लेकर अब तक पीड़ित परिवार ने जांच एजेंसियों और प्रशासन का पूरा सहयोग किया है,परिवार के सदस्यों ने पुलिस को बयान दिए,जांच में सहयोग किया और न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास जताया, परिजनों का कहना है कि उन्होंने किसी भी स्तर पर जांच में बाधा नहीं डाली,उन्होंने कानून पर भरोसा रखा और सरकार से केवल निष्पक्ष न्याय की मांग की,उनका कहना है कि यदि उन्होंने शासन-प्रशासन का सहयोग किया है तो सरकार भी उनकी प्रमुख मांगों पर गंभीरता से विचार करे।

फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग- सीबीआई जांच के अलावा परिजनों की दूसरी प्रमुख मांग यह है कि पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाए,उनका कहना है कि कई बार ऐसे मामलों में वर्षों तक मुकदमे चलते रहते हैं,जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिलने में अत्यधिक विलंब हो जाता है, इसलिए इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर शीघ्र निर्णय कराया जाना चाहिए,परिवार का कहना है कि दोषियों को समयबद्ध तरीके से सजा मिलेगी,तभी समाज में कानून के प्रति विश्वास मजबूत होगा।

गवाहों और साक्ष्यों की सुरक्षा भी जरूरी- पीड़ित परिवार ने शासन से गवाहों एवं साक्ष्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है,उनका कहना है कि इतने चर्चित और गंभीर मामले में यदि गवाहों को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है,इसलिए सरकार को इस दिशा में भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए,परिवार चाहता है कि जांच पूरी होने तक सभी महत्वपूर्ण गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।

अब भी बरकरार हैं कई सवाल- हालांकि पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कुछ आरोपियों के आत्मसमर्पण की जानकारी भी सामने आई है, लेकिन कई सवाल आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्या पूरे मामले की जांच वर्तमान व्यवस्था में पूरी तरह निष्पक्ष होगी? क्या घटना के सभी पहलुओं की समान गंभीरता से जांच हो रही है? क्या पूरे घटनाक्रम के पीछे यदि कोई बड़ी साजिश है तो उसका भी खुलासा होगा? क्या पीड़ित परिवार की प्रमुख मांगों पर सरकार जल्द निर्णय लेगी? इन्हीं सवालों के कारण सीबीआई जांच की मांग लगातार मजबूत होती जा रही है।

परिजनों को अब देरी की चिंता- तेरह दिन पहले जब यह घटना हुई थी, तब सरकार और प्रशासन लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे थे,मंत्री पहुंचे, वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे, पुलिस ने कार्रवाई की और लगातार आश्वासन भी दिए गए,लेकिन अब जब समय बीत रहा है तो परिजनों के मन में यह चिंता भी बढ़ रही है कि कहीं मामला धीरे-धीरे ठंडा न पड़ जाए,परिवार का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि तेरहवीं तक उनकी प्रमुख मांगों पर कोई ठोस निर्णय सामने आ जाएगा,लेकिन ऐसा नहीं हुआ,यही कारण है कि अब वे सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील कर रहे हैं।

क्या समय के साथ कम हो जाएगा दबाव?- स्थानीय स्तर पर भी यह चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं प्रशासन यह मानकर तो नहीं चल रहा कि समय बीतने के साथ मामला स्वतः शांत हो जाएगा,हालांकि परिजनों का कहना है कि वे किसी आंदोलन या टकराव की राह पर नहीं हैं,वे केवल यह चाहते हैं कि सरकार अपने आश्वासन पर अमल करे और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे,उनका कहना है कि न्याय मिलने तक वे अपनी मांग उठाते रहेंगे।

सरकार के सामने बड़ी परीक्षा- यह मामला अब केवल एक आपराधिक घटना नहीं रह गया है,यह सरकार की संवेदनशीलता,पुलिस की विवेचना और न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता की भी परीक्षा बन चुका है,एक ओर मुख्यमंत्री स्वयं कठोर कार्रवाई का आश्वासन दे चुके हैं,दूसरी ओर पीड़ित परिवार सीबीआई जांच की मांग पर अडिग है,ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह पीड़ित परिवार का विश्वास कैसे बनाए रखे।

सरकार के मंत्री पहुंचे, मुख्यमंत्री ने भी दिया भरोसा-

घटना के बाद राज्य सरकार के दो मंत्री पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे थे, इस दौरान एक मंत्री ने मुख्यमंत्री से भी परिजनों की दूरभाष पर बातचीत कराई थी, परिजनों के अनुसार मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया था कि घटना अत्यंत गंभीर है और सरकार दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेगी, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि जिस प्रकार की यह जघन्य घटना है, उसी अनुरूप कठोर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी और परिवार न्याय को लेकर निश्चिंत रहे, यह आश्वासन पीड़ित परिवार के लिए उस समय बड़ी राहत का कारण बना था। लेकिन अब 13 दिन बीत जाने के बाद भी सीबीआई जांच पर कोई आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आने से परिवार की चिंता बढ़ने लगी है।

श्राद्ध कर्म पूरे, न्याय की लड़ाई जारी
नौगई हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग पर अब तक सरकार मौन

चिता की आग बुझी, लेकिन न्याय की उम्मीद अब भी जल रही है, नौगई तिहरे हत्याकांड में तेरहवीं के बाद भी सीबीआई जांच पर निर्णय कब?

तेरह दिन बीते... तेरहवीं भी हुई, पर न्याय की पहली सीढ़ी अब भी दूर

सीबीआई जांच की मांग पर सरकार के फैसले का इंतजार, पीड़ित परिवार की उम्मीद बरकरार

परिजनों की मांग बरकरार; फास्ट ट्रैक कोर्ट, गवाहों की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की भी उठी मांग

खड़गवां में अवैध गांजे का कारोबार : कार्रवाई के बाद भी सवाल बरकरार,आखिर कब थमेगा नशे का नेटवर्क?

छोटी मछलियों पर कार्रवाई या मुख्य सप्लायरों तक पहुंचेगा कानून का हाथ? युवाओं के भविष्य को लेकर बढ़ी चिंता

राजेन्द्र शर्मा

खड़गवां/एमसीबी,29 जून 2026 (घटती-घटना)।

एमसीबी जिले के खड़गवां विकासखंड क्षेत्र में अवैध गांजे की बिक्री को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस और प्रशासन द्वारा समय-समय पर कार्रवाई करने के दावों के बावजूद क्षेत्र में नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री पूरी तरह बंद नहीं हो पाना चिंता का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मुख्यालय खड़गवां सहित आसपास के कई ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी-छिपे गांजे की बिक्री का नेटवर्क सक्रिय है। कुछ लोगों का कहना है कि नशे का यह कारोबार अब केवल कुछ स्थानों तक सीमित नहीं है, बल्कि कथित रूप से मांग के आधार पर घर तक पहुंचाने जैसी गतिविधियों की भी शिकायतें सामने आ रही हैं।

युवाओं पर पड़ रहा नशे का असर : क्षेत्र के अभिभावकों और सामाजिक लोगों का कहना है कि नशीले पदार्थों की आसान उपलब्धता युवाओं के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। स्कूल-कॉलेज जाने वाले बच्चों और युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ने से शिक्षा,स्वास्थ्य और सामाजिक माहौल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। समाजसेवियों का कहना है कि केवल गिरफ्तारी और जब्ती की कार्रवाई से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। जरूरत है कि नशे के पूरे नेटवर्क की पहचान कर उसके स्रोत तक पहुंचा जाए, ताकि अवैध कारोबार की जड़ को खत्म किया जा सके।

कार्रवाई के बावजूद क्यों नहीं रुक रहा कारोबार? पिछले दिनों पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की गई थी। कई मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर गांजा जब्त भी किया गया। इसके बावजूद स्थानीय नागरिकों का सवाल है कि अगर कार्रवाई लगातार हो रही है तो फिर क्षेत्र में यह अवैध धंधा दोबारा कैसे सक्रिय हो जाता है? लोगों का आरोप है कि छोटे स्तर पर बिक्री करने वालों पर कार्रवाई तो होती है, लेकिन कथित रूप से बड़े सप्लायरों और नेटवर्क से जुड़े लोगों तक जांच कितनी पहुंच पाती है,यह बड़ा सवाल है।

निगरानी और जागरूकता जरूरी : समाजसेवियों का मानना है कि नशे के खिलाफ लड़ाई में पुलिस कार्रवाई के साथ-साथ जनभागीदारी भी जरूरी है। गांव-गांव जागरूकता अभियान, युवाओं को नशे के नुकसान के बारे में जानकारी देना और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना समय की जरूरत है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि पुलिस प्रशासन नियमित निगरानी व्यवस्था मजबूत करे और ऐसे स्थानों पर विशेष अभियान चलाए जहां से नशे के कारोबार की शिकायतें मिल रही हैं।

पुलिस का दावा—जारी है कार्रवाई : पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। किसी भी व्यक्ति को अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे नशे से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल दें। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में लगातार और प्रभावी कार्रवाई से खड़गवां क्षेत्र में अवैध गांजे के कारोबार पर कितना अंकुश लग पाता है। क्षेत्र की जनता प्रशासन से केवल कार्रवाई नहीं, बल्कि स्थायी समाधान की उम्मीद कर रही है।

छत्तीसगढ़ में अपराध को लेकर सरकार का दोहरा पैमाना?

कोरिया के तिहरे हत्याकांड में ढुलमुल रवैया क्यों?

कोरबा में जानलेवा हमले के आरोपी पर चल गया बुलडोजर!

क्या अपराधियों पर कार्यवाही के अलग पैमाने हैं?

नौगई तिहरे हत्याकांड

व्यापारिक संच के ज्ञापन के बाद भी आरोपियों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं!

- 3 लोगों की मौत, 2 गंभीर घायल
- अवैध निर्माण गिराने की मांग के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं

क्या पैमाने के आधार पर होती है कार्रवाई?

कोरबा में त्वरित कार्रवाई

भाजपा नेता पर जानलेवा हमले के आरोपी के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

कोरबा में बुलडोजर की रफ्तार, नौगई में कार्रवाई की रफ्तार क्यों थमी?

अपराध एक,कार्रवाई अलग-अलग? कोरबा में बुलडोजर...नौगई तिहरे हत्याकांड में अब तक इंतजार

- छत्तीसगढ़ में अपराध पर दोहरा पैमाना? कोरबा में आरोपी का अवैध निर्माण ढहा,नौगई हत्याकांड में कार्रवाई क्यों नहीं?
- कोरबा में बुलडोजर चला,नौगई में क्यों नहीं? तीन मौतों के बाद भी आरोपियों के कथित अवैध निर्माणों पर कार्रवाई का इंतजार
- तीन हत्याओं पर नहीं चला बुलडोजर...एक हमले में हुई कार्रवाई...सरकार की कार्रवाई पर उठ रहे समानता के सवाल
- क्या छत्तीसगढ़ में अपराधियों के लिए अलग-अलग कानून? कोरबा में तत्काल बुलडोजर, नौगई तिहरे हत्याकांड में अब तक इंतजार

रवि सिंह
कोरिया/सोनहत,29 जून 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ में अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और बुलडोजर नीति को लेकर सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करती रही है, लेकिन प्रदेश के दो अलग-अलग जिलों में हुई घटनाओं के बाद अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई का कोई समान पैमाना है या फिर परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग मापदंड अपनाए जा रहे हैं? एक ओर कोरबा जिले में भाजपा नेता पर हुए जानलेवा हमले के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया,वहीं दूसरी ओर कोरिया जिले के नौगई तिहरे हत्याकांड को 13 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों के कथित अवैध निर्माणों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही अंतर अब चर्चा और सवालों का विषय बन गया है।

नौगई हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था-16 और 17 जून की दरमियानी रात सोनहत थाना क्षेत्र के ग्राम नौगई में हुई घटना को प्रदेश के सबसे जघन्य अपराधों में गिना जा रहा है। आरोप है कि एक परिवार के लोगों ने सामूहिक रूप से दूसरे परिवार के पांच सदस्यों पर जानलेवा हमला किया,इस हमले में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल होकर अब भी अस्पताल में उपचाराधीन हैं,मृतकों में एक व्यक्ति वाहन सहित जिंदा जल गया, जबकि अन्य दो की मौत गंभीर चोटों और जलने के कारण उपचार के दौरान हुई,इस घटना ने पूरे प्रदेश में आक्रोश पैदा किया और इसे मॉब लिंचिंग जैसी क्रूरतम वारदातों में शामिल कर देखा जाने लगा।

13 दिन बाद भी कार्रवाई पर सवाल-

घटना के बाद पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया और विवेचना जारी होने की बात कही, लेकिन पीड़ित परिवार लगातार पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाता रहा है, परिजनों का कहना है कि जांच की गति और कार्रवाई दोनों उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं, इसी बीच अब एक नया सवाल भी सामने आ गया है, यदि सरकार अपराधियों के विरुद्ध बुलडोजर जैसी सख्त कार्रवाई को कानून व्यवस्था का हिस्सा मानती है, तो नौगई हत्याकांड के आरोपियों के कथित अवैध निर्माणों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

कोरबा में त्वरित कार्रवाई, कोरिया में इंतजार

दो दिन पहले कोरबा जिले में भाजपा नेता पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया,घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की और प्रशासन ने उसके कथित अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया, प्रशासन की इस कार्रवाई को सरकार की अपराध के प्रति सख्त नीति का उदाहरण बताया गया, लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि यदि एक जिले में जानलेवा हमले के मामले में इतनी त्वरित कार्रवाई हो सकती है, तो कोरिया जिले में तीन लोगों की मौत और दो लोगों के गंभीर रूप से घायल होने वाले मामले में वैसी ही कार्रवाई क्यों नहीं दिखाई दी?

जनता पूछ रही है...-

स्थानीय लोगों का कहना है कि नौगई जैसी घटना में तीन लोगों की जान चली गई और दो लोग अब भी अस्पताल में जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे मामले में यदि अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी, तो उस पर अब तक क्या निर्णय लिया गया? लोग यह भी जानना चाहते हैं कि क्या प्रशासन ने आरोपियों के निर्माणों की जांच कराई? यदि जांच हुई तो उसका निष्कर्ष क्या रहा? और यदि जांच ही नहीं हुई तो उसके पीछे क्या कारण हैं?

व्यापारिक संघ और परिजनों ने पहले ही उठाई थी मांग...

ऐसा नहीं है कि नौगई हत्याकांड में बुलडोजर कार्रवाई की मांग पहली बार उठी हो,पीड़ित परिवार ने पहले ही आरोपियों के कथित अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की थी,इसके बाद जिले के व्यापारिक संघ ने भी प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के अवैध कब्जों एवं निर्माणों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की थी,इसके बावजूद अब तक इस दिशा में कोई सार्वजनिक कार्रवाई सामने नहीं आई है।

क्या कार्रवाई के अलग-अलग पैमाने हैं?

यही वह प्रश्न है जो अब राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बन गया है, यदि सरकार अपराधियों के विरुद्ध बुलडोजर कार्रवाई को कानून के दायरे में उचित मानती है,तो क्या यह नीति सभी मामलों में समान रूप से लागू होगी? क्या अपराध की गंभीरता के आधार पर कार्रवाई तय होती है? या फिर आरोपी, घटना अथवा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय बदल जाते हैं? इन सवालों के जवाब फिलहाल शासन और प्रशासन के पास ही हैं।

सरकार से स्पष्ट नीति की अपेक्षा-कानून के जानकारों का मानना है कि अवैध निर्माणों पर कार्रवाई संबंधित राजस्व, नगरीय निकाय या अन्य सक्षम प्राधिकार द्वारा उपलब्ध अभिलेखों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर की जाती है, इसलिए यदि किसी भी मामले में ऐसी कार्रवाई की जाती है तो उसका आधार स्पष्ट और समान होना चाहिए, इसी कारण अब मांग उठ रही है कि सरकार अपराधियों के विरुद्ध बुलडोजर अथवा अवैध निर्माण हटाने जैसी कार्रवाई के संबंध में अपनी नीति स्पष्ट करे, ताकि यह संदेश जाए कि कानून सभी के लिए समान है और किसी भी मामले में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जाते।

अब निगाहें शासन के फैसले पर...

नौगई तिहरे हत्याकांड में पुलिस विवेचना जारी है,लेकिन इसके समानांतर प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर भी सवाल बढ़ते जा रहे हैं, एक ओर पीड़ित परिवार निष्पक्ष जांच,सीबीआई जांच और शीघ्र न्याय की मांग कर रहा है, वहीं अब आरोपियों के कथित अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर भी बहस तेज हो गई है, ऐसे में अब यह देखना होगा कि शासन और प्रशासन इस पूरे मामले में कोई स्पष्ट निर्णय लेते हैं या नहीं,ताकि कानून की समानता और निष्पक्षता को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब मिल सके।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,कलेक्टर और एसपी ने किया जिला जेल बैकुंठपुर का त्रैमासिक निरीक्षण

बंदियों को मिल रही मूलभूत सुविधाओं,भोजन की गुणवता, स्वास्थ्य सेवाओं और विधिक सहायता व्यवस्था का लिया जायजा

कोरिया,29 जून 2026 (घटती-घटना)।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में सोमवार, 29 जून 2026 को जिला जेल बैकुंठपुर का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा डिस्ट्रिक्ट विजिटर्स बोर्ड के अन्य सदस्यों ने जेल परिसर का विस्तृत अवलोकन कर बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की समीक्षा की।

निरीक्षण दल में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण योगेश पाठक, कलेक्टर चंदन त्रिपाठी यादव, पुलिस अधीक्षक रवि कुमार कुशरे, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अपर्णा दिनेश मिश्रा तथा विजिटर्स बोर्ड के सदस्य शामिल रहे, इसके अलावा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोक निर्माण विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य अधिकारी भी निरीक्षण में उपस्थित रहे, निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जेल की बैरकों का निरीक्षण कर वहां की साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था तथा बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। बंदियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली गई, साथ ही यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि सभी बंदियों को समय पर विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए तथा उनके साथ किसी भी प्रकार का जातिगत या अन्य प्रकार का भेदभाव न हो, निरीक्षण टीम ने जेल में परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता का भी परीक्षण किया, अधिकारियों ने भोजन की व्यवस्था, स्वच्छता और पोषण संबंधी मानकों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, इसके साथ ही जेल परिसर में संचालित लीगल एड क्लीनिक का निरीक्षण कर बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क कानूनी सहायता और परामर्श सेवाओं की जानकारी ली।

अधिकारियों ने यह भी देखा कि पात्र बंदियों को विधिक सहायता का लाभ समय पर मिल रहा है या नहीं,जेल अधीक्षक ने निरीक्षण दल को जेल की व्यवस्थाओं, बंदियों की संख्या, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी दी। इस दौरान जिला जेल प्रशासन,लीगल एड डिफेंस काउंसिल के प्रतिनिधि तथा पैरालीगल वालंटियर भी उपस्थित रहे और उन्होंने बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के बारे में जानकारी दी,प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार,माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2024 में पारित निर्देशों के अनुपालन में गठित डिस्ट्रिक्ट विजिटर्स बोर्ड प्रत्येक तिमाही में जिला जेल का निरीक्षण करता है,इस निरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जेल में निरुद्ध सभी बंदियों को संविधान और कानून के अनुरूप सम्मानजनक वातावरण, आवश्यक सुविधाएं, समय पर विधिक सहायता और समान व्यवहार प्राप्त हो तथा किसी भी प्रकार के भेदभाव की स्थिति उत्पन्न न हो, निरीक्षण के अंत में अधिकारियों ने जेल प्रशासन को निर्देशित किया कि बंदियों के अधिकारों की रक्षा,स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण तथा गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं।

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा पर सियासत तेज,पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने भाजपा पर साधा निशाना

सरकारी गाइडलाइन की अनदेखी कर साहित्यकारों और कलाकारों की जगह भाजपा पदाधिकारियों को शामिल करने का लगाया आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग

मनेंद्रगढ़/एमसीबी,29 जून 2026 (घटती-घटना)।

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा को लेकर मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है, पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता गुलाब कमरो ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनदेखी कर इस यात्रा को राजनीतिक मंच बना दिया गया है, उन्होंने आरोप लगाया कि यात्रा में जिले के साहित्यकारों, लोक कलाकारों, इतिहासकारों और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को शामिल करने के बजाय भाजपा पदाधिकारियों को प्राथमिकता दी गई, जो सरकार की मंशा और निर्धारित गाइडलाइन के विपरीत है। गुलाब कमरो ने प्रेस बयान जारी कर कहा कि शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में स्पष्ट उल्लेख है कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा में जिले की माटी, पानी, लोक संस्कृति, इतिहास, साहित्य और कला से जुड़े विशिष्ट व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जानी थी, ताकि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व कर सकें, लेकिन एमसीबी जिले में इस उद्देश्य को दरकिनार कर भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों के नाम सूची में शामिल किए गए।

साहित्यकारों और कलाकारों की जगह भाजपा नेताओं को मिला मौका-पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि भाजपा जिला अध्यक्ष चंपा देवी पावले ने अपनी ही सरकार द्वारा तय नियमों और दिशा-निर्देशों की अनदेखी करते हुए स्वयं का नाम तथा भाजपा पदाधिकारियों के नाम यात्रा के लिए शामिल करवा लिए, उनका कहना है कि यदि यात्रा का उद्देश्य सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चेतना का प्रसार है, तो उसमें राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को प्राथमिकता देना उद्देश्य के विपरीत है, उन्होंने कहा कि जिले में ऐसे अनेक साहित्यकार, लोक कलाकार, इतिहासकार और सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग हैं, जो इस यात्रा के वास्तविक पात्र थे। उन्हें अवसर न देकर राजनीतिक नियुक्तियां करना योग्य व्यक्तियों के साथ अन्याय है।

क्या भाजपा जिला अध्यक्ष सरकार से भी बड़ी हो गई हैं?-गुलाब कमरो ने तीखा सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सरकार स्वयं गाइडलाइन जारी करती है और उसी का पालन नहीं कराया जाता, तो इसका क्या संदेश जाएगा? उन्होंने पूछा कि क्या भाजपा जिला अध्यक्ष अपनी ही सरकार से भी बड़ी हो गई हैं कि सरकारी नियमों को दरकिनार कर अपने अनुसार नाम तय करवा रही हैं?

उन्होंने कहा कि यदि शासन के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं होगा तो नियम-कानून केवल आम नागरिकों के लिए ही रह जाएंगे, जबकि सत्ता से जुड़े लोगों के लिए अलग व्यवस्था बन जाएगी।

सरकारी योजना का राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए-पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि भाजपा ने सरकारी योजना का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया है, उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी योजना या सांस्कृतिक आयोजन का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को समान अवसर देना होता है, लेकिन यदि उसमें राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी तो उसकी निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है, उन्होंने कहा कि धर्म, संस्कृति और आस्था किसी एक राजनीतिक दल की जागीर नहीं हैं। इन्हें राजनीतिक लाभ का माध्यम बनाना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है और इससे समाज में गलत संदेश जाता है।

सबका साथ, सबका विकास के नारे पर भी उठाए सवाल-गुलाब कमरो ने भाजपा के 'सबका साथ, सबका विकास' के नारे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यदि हर सरकारी कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को ही प्राथमिकता मिलेगी, तो यह नारा केवल प्रचार तक सीमित रह जाएगा, उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं किसी दल विशेष की नहीं होतीं, बल्कि पूरे समाज की होती हैं, इसलिए उनमें चयन की प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए।

निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग...

पूर्व विधायक ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि यात्रा के लिए प्रतिभागियों का चयन किस आधार पर किया गया,यदि जांच में सरकारी गाइडलाइन के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों और व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए, उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसे सभी सरकारी कार्यक्रमों में शासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि वास्तविक पात्रों को अवसर मिले और सरकारी योजनाओं की निष्पक्षता एवं गरिमा बनी रहे।

CMYK

पौराणिक कथा,दमदार कहानी और धमाकेदार एक्शन...जूनियर एनटीआर की नई फिल्म का एलान

जूनियर एनटीआर और त्रिविक्रम श्रीनिवास ने अपनी नई पौराणिक फिल्म की घोषणा की है, जिसका पोस्टर रिलीज हो गया है।
 पैन इंडिया स्टार जूनियर एनटीआर इस वक्त बैक टू बैक अपनी फिल्मों की शूटिंग में लगे हैं। जल्द ही एनटीआर कई बड़े प्रोजेक्ट्स में दिखेंगे। इसी बीच एनटीआर की आने वाली फिल्म का एलान हो गया है। इस फिल्म के बाद जूनियर एनटीआर के फैंस की खुशी सातवें आसमान पर है।

एनटीआर की नई फिल्म का एलान

जी हां, जूनियर एनटीआर और डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास के आने वाले बिग प्रोजेक्ट का खुलासा हो गया है। अरविंदा समेता वीरा राघवा की जबरदस्त कामयाबी के बाद, एक्टर और डायरेक्टर की यह मशहूर जोड़ी एक अनोखे और बड़े फिल्मी सफर पर निकलने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस अनटाइटल्ड फिल्म का एलान खुद जूनियर एनटीआर ने अपने (ट्विटर) अकाउंट पर किया है। फिल्म के पोस्टर में

एक त्रिशूल और भाला डीएनए डिजाइन के साथ जुड़े दिख रहे हैं, जिस पर एक टैगलाइन लिखी है ÷एक त्रिशूल, एक उद्देश्य... एक दैवीय हिसाब-किताब।÷ मेकर्स इस फिल्म को पौराणिक कथाओं से प्रेरित एक बहुत बड़ा और भव्य प्रोजेक्ट बता रहे हैं, जो एक दमदार कहानी के साथ दर्शकों को भक्ति और दिव्यता से भरा एक अनोखा सिनेमैटिक एक्पीरिएंस को दिखाएगा।

बिग बजट की फिल्म में पौराणिक कहानी

वहीं इस बड़े लेवल पर बनने वाली फिल्म में पौराणिक कथाओं से प्रेरित कहानी दिखने वाली है। हालांकि पौराणिक और ऐतिहासिक गाथा वाली इस फिल्म में असल में क्या कहानी होगी, इसकी जानकारी आने वाले वक्त में पता चलेगी। हालांकि पोस्टर के कैप्शन में एनटीआर ने लिखा है कि,सन ऑफ शिवा, प्राइड ऑफ पार्वती और एक शानदार सेनापति। मतलब फिल्म की कहानी भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय पर बेस्ड हो सकती है, वहीं सोशल मीडिया पर भी ऐसा दावा किया जा रहा है। फिल्म में बड़े लेवल पर एक्शन भी नजर आएगा। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर तैयार कर रहे हैं। इस फिल्म को हारिका एंड हासिने क्रिएशंस के बैनर तले एस. राधा कृष्ण (चाइना बाबू) और एनटीआर आर्ट्स के तहत नंदामुरी कल्याण राम मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं।
इस फिल्म की कहानी खुद त्रिविक्रम श्रीनिवास ने लिखी है और वही इसे डायरेक्ट भी कर रहे हैं। अब इस प्रोजेक्ट के जरिए एक बार फिर से साउथ सिनेमा नई कहानी को पर्दे पर पेश करने जा रहा है। इस फिल्म के अलावा जूनियर एनटीआर डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ फिल्म ड्रैगन में भी नजर आएंगे।

क्या एक्ट्रेस ने बदला अपना धर्म?

सोशल मीडिया पर अपने अतरंगी फैशन सेंस और बेबाक बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहने वालीं एक्ट्रेस और मॉडल उर्फी जावेद एक बार फिर इंटरनेट पर छा गई हैं। इस बार वजह उनका कोई नया लुक नहीं, बल्कि उनके धर्म परिवर्तन और नाम बदलने को लेकर उड़ रही एक सनसनीखेज अफवाह है। इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि उर्फी जावेद ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है और अपना नया नाम रीता भारद्वाज रख लिया है। अब इस पूरे मामले पर खुद उर्फी जावेद ने सामने आकर चुप्पी तोड़ी है और फेक न्यूज फैलाने वालों को आड़े हाथों लिया है। यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर दूरदर्शन की एक पूर्व महिला पत्रकार का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में कथित तौर पर दावा किया गया कि उर्फी जावेद ने अपना नाम बदलकर अब 'रीता भारद्वाज' कर लिया है और उन्होंने अपना मजहब भी बदल लिया है। इतना ही नहीं, उस वीडियो में उर्फी के कपड़ों और उनके फैशन स्टाइल को लेकर भी तीखी टिप्पणियां की गईं और कहा गया कि वह सिर्फ अपनी बोल्ड ड्रेसेस के कारण ही जानी जाती हैं। यह वीडियो देखते ही देखते टॉक ऑफ द टाउन बन गया, जिसके बाद इस खबर की सच्चाई जानने के लिए फैंस बेताब हो गए। इस वायरल दावे और अफवाहों पर पूर्णविराम लगाते हुए उर्फी जावेद ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट साझा किया। उर्फी ने साफ लफ्जों में इन दावों को पूरी तरह से खारिज और फर्जी बताया। उन्होंने लिखा कि उन्होंने न तो अपना नाम बदला है और न ही अपना धर्म परिवर्तन किया है। इसके साथ ही उर्फी ने अपनी विचारधारा स्पष्ट करते हुए कहा कि वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करती हैं और न ही किसी मजहब को मानती हैं। उर्फी ने फेक न्यूज फैलाने वाली महिला पत्रकार को नसीहत देते हुए लिखा, यदि किसी को मेरी आलोचना करनी है, तो वह बेझिझक कर सकता है, लेकिन इस तरह की झूठी खबरें (फेक न्यूज) फैलाने से बचना चाहिए।

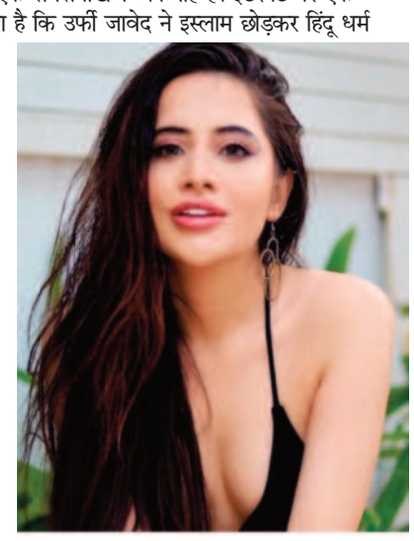

आकांक्षा के पिता ने तोड़ी चुप्पी, दामाद गौरव के दावों को बताया गलत

टेलीविजन इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा कपल्स में से एक गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला इन दिनों अपनी निजी जिंदगी और तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' में आकांक्षा चमोला ने खुलासा किया था कि वे दोनों पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं। उस समय फैंस और सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे महज एक पब्लिसिटी स्टंट या शो की टीआरपी बढ़ाने का तरीका बताया था। लेकिन अब सोशल मीडिया पर खुद को आकांक्षा के पिता बताने वाले एक व्यक्ति का कथित कमेंट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने इस रिश्ते के अंत पर मुहर लगाने के साथ-साथ कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हालांकि, इस वायरल कमेंट की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।

गौरव ने मीडिया में मेरी बेटी को विलेन बनाया- आकांक्षा के कथित पिता का आरोप

सोशल मीडिया पर आकांक्षा चमोला के पिता होने का दावा करने वाले शख्स ने एक लंबा कमेंट लिखकर गौरव खन्ना पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। कमेंट में लिखा गया है कि गौरव खन्ना निसंदेह एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं,लेकिन एक पति के तौर पर वह आकांक्षा को वित्तीय (फाइनेंशियल) और मानसिक-नैतिक (मोरल) सपोर्ट देने में पूरी तरह नाकाम रहे। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि गौरव ने उनके परिवार का भरोसा तोड़ा है। कमेंट में सबसे बड़ा दावा यह किया गया है कि गौरव खन्ना जानबूझकर मीडिया में आकांक्षा की छवि एक विलेन (खलनायक) जैसी पेश कर रहे हैं, ताकि वे खुद को पीड़ित दिखाकर जनता और फैंस की हमदर्दी (सिम्पैथी) बटोर सकें। कथित पिता ने यह भी साफ किया कि आकांक्षा पिछले एक साल से गौरव का घर छोड़कर मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित उनके (पिता के) घर पर ही रह रही हैं। इस कमेंट ने इंटरनेट पर दोनों के फैंस के बीच एक नई बहस छेड़ दी है।

लॉक अप 2 में आकांक्षा ने बयां किया था रिश्ता टूटने का दर्द

इस वायरल कमेंट से पहले खुद आकांक्षा चमोला ने लॉक अप 2 में शो की होस्ट फराह खान के सामने अपनी शादीशुदा जिंदगी का सच बयां किया था। आकांक्षा ने भावुक होते हुए स्वीकार किया था कि वे और गौरव आपसी सहमति से तलाक की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि,आकांक्षा का स्टैंड इस कमेंट से थोड़ा अलग था;उन्होंने शो में कहा था कि उनके और गौरव के बीच कोई व्यक्तिगत दुश्मनी, लड़ाई या नफरत नहीं है। वे आज भी एक-दूसरे से बात करते हैं, लेकिन समय के साथ उन्हें यह अहसास हो गया है कि पति-पत्नी के रूप में वे एक-दूसरे के लिए सही जीवनसाथी नहीं हैं। दोनों की सोच, प्राथमिकताएं और जिंदगी से जुड़ी उम्मीदें काफी अलग हो चुकी हैं, जिसके कारण उन्होंने गरिमा के साथ अलग होने का फैसला लिया।

सूर्या और टी जे ज्ञानवेल की जोड़ी फिर तैयार

डायरेक्टर टी जे ज्ञानवेल की आने वाली फिल्म के मेकर्स ने सोमवार को एक्टर सूर्या को अपनी फिल्म में शामिल किया, जिससे फैंस और फिल्म के दीवाने बहुत खुश हुए। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे पॉपुलर प्रोडक्शन हाउस होम्बले फिल्म्स ने अपनी ङ्ग टाइमलाइन पर सूर्या का स्वागत करते हुए एक स्टेटमेंट जारी किया। इसमें लिखा था,उन्होंने इसे बनाया। फ्रेम दर फ्रेम। फिल्म दर फिल्म। लड़ाई दर लड़ाई। ऐसे रोल जिनमें सच्चाई झलकती थी। ऐसे कैरेक्टर जिन्होंने असल ज़िंदगी का बोझ उठाया। एक ऐसा करियर जिसने हर बार आराम के बजाय हिम्मत को चुना। इसमें आगे कहा गया,स्क्रीन पर तीन दशकों की सच्चाई। इसके आगे अनगिनत दिलों को छुआ। जहां अपनी पीढ़ी का सबसे निडर एक्टर अब तक के अपने सबसे बड़े स्टेज से मिलता है। होम्बले फिल्म्स गर्व से द वन-सूर्या का स्वागत करता है। सूर्या ङ्ग होम्बले। इससे पहले दिन में, प्रोड्यूसर विजय किरागंदूर ने सोमवार सुबह फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ा दी थी, जब उन्होंने दोपहर में एक बड़ी अनाउंसमेंट का हिंट दिया था। एक ट्वीट में,जाने-माने प्रोड्यूसर ने कहा था,कुछ शुरुआतें शोर नहीं करतीं। वे ऐसी गूंज पैदा करती हैं जो हमेशा रहती है। अगली दहाड़ फुसफुसाएगी नहीं। तैयार हो जाओ! आज दोपहर 2:19 बजे अनवील हो रहा है। हालांकि प्रोडक्शन हाउस ने ऑफिशियली कास्ट और क्रू के दूसरे सदस्यों के नाम नहीं बताए,लेकिन उसने डायरेक्टर टी जे ज्ञानवेल को अपने ट्वीट में टैग किया, जो क्रिटिक्स द्वारा सराही गई ब्लॉकबस्टर फिल्म जय भीम को डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं,जिससे यह इशारा मिलता है कि वह फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। इसी तरह, ऐसा लगता है कि एक्ट्रेस कयादु लोहार,जिन्होंने डायरेक्टर अश्वथ मारीमुथु की ड्रैगन में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीता था, इस आने वाली फिल्म में फीमेल लीड रोल करेंगी। ट्वीट में यह भी इशारा दिया गया कि युवा म्यूजिक सेंसेशन साई अभ्यंकर को इस अभी तक टाइटल नहीं दी गई फिल्म के म्यूजिक स्कोरिंग के लिए लिया जा रहा है। अगर ट्वीट में टैग किए गए दूसरे नामों को देखें,तो फिल्म में टैलेंटेड कैमरामैन एस आर कथिर कैमरा संभालेंगे। फिल्म मेकिंग का एक और ज़रूरी डिपार्टमेंट,एडिटिंग,बहुत टैलेंटेड फिलोमिन राज के हेड होंगे।

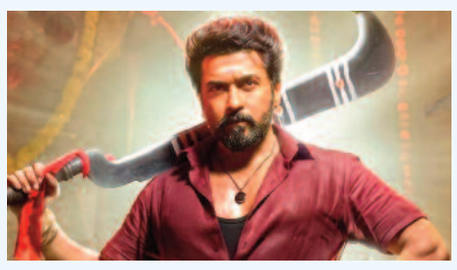

एक्टिंग कोई कॉरपोरेट नौकरी नहीं

अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की वर्कशिफ्ट की मांग को लेकर उन्हें फिल्ममेकर इंद्रजीत लंकेश का समर्थन मिला है, जिन्होंने दीपिका की पहली फिल्म डायरेक्टर की थी। बॉलीवुड में नंबर वन एक्ट्रेस की कुर्सी पर काबिज अभिनेत्री दीपिका पादुकोण हमेशा से अपने मुद्दों को लेकर मुखर रही हैं। दीपिका खुलकर अपनी बात रखती हैं और यही चीज उन्हें बाकियों से अलग बनाती है।
अब आपको याद ही होगा कि कुछ महीने पहले दीपिका ने 8 घंटे की वर्कशिफ्ट को लेकर अपनी बात रखी थी। इसको लेकर हर तरफ बवाल हुआ। कईयों ने दीपिका का साथ दिया तो कई इस पर चुप रहे और अब एक मशहूर डायरेक्टर ने दीपिका के इस बयान का समर्थन दिया है।

डायरेक्टर ने दिया दीपिका का साथ

फिल्मों में काम करने के निर्धारित समय को लेकर दीपिका का साथ देने वालों की फेहरिस्त काफी लंबी है। अब इसी में जुड़ा फिल्ममेकर इंद्रजीत लंकेश का नाम। ये वही इंद्रजीत लंकेश हैं जिन्होंने दीपिका को ओम शांति ओम से पहले ब्रेक दिया था। 2006 में इंद्रजीत की फिल्म ऐश्वर्या में दीपिका ने काम किया था।
पिंकविला की सहयोगी वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में इंद्रजीत ने दीपिका का साथ देते हुए कहा कि अगर आप किसी आर्टिस्ट के साथ, खासकर दीपिका के साथ 6 घंटे शूट करते हैं, तो उसके बाद डायरेक्टर तो कैमरे के पीछे रहकर अगले 4 घंटे दूसरा सीन शूट कर सकता है। लेकिन आर्टिस्ट ऐसा नहीं कर सकता। उनके चेहरे पर थकान दिखने लगती है। इसलिए आप सीन्स की प्लानिंग और शेड्यूलिंग इस तरह कर सकते हैं कि उन्हें ब्रेक मिले। और ब्रेक देना बहुत जरूरी है। खासकर तब, जब आप एक मां हों और आपका छोटा बच्चा हो। आप बच्चे के लिए कोई केयरटेकर रख सकते हैं, लेकिन मां का प्यार और उनकी देखभाल सबसे जरूरी होती है। अपनी बात को आगे रखते हुए इंद्रजीत लंकेश ने दीपिका की तारीफ करते हुए कहा कि उनके इस कदम से न सिर्फ वर्किंग मदर्स को बल्कि इंडस्ट्री के हर एक्टर को फायदा होगा। उन्होंने आगे कहा कि,दीपिका ने जो 8 घंटे के काम की बात उठाई है,वह मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने हर महिला और हर आर्टिस्ट के लिए स्टैंड लिया है। कैमरे के सामने आपको ही आना होता है। अगर आप 8 घंटे से ज्यादा काम करेंगे,तो स्क्रीन पर थके हुए और बीमार दिखेंगे। कल को लोग आपको ही देखेंगे,क्योंकि पर्दे पर आप एक्टिंग कर रहे हैं। डायरेक्टर तो कैमरे के पीछे रहकर अपनी कहानी कह रहा है।

खेल समाचार

1 जुलाई से भारत और इंग्लैंड के बीच टी 20 सीरीज की होगी शुरुआत

नई दिल्ली,29 जून 2026। आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम की नजरें इंग्लैंड दौरे पर टिकी हैं। टीम इंडिया 1 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। इसके बाद दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज भी आयोजित होगी। नए कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ मिली हार के बाद उनकी कप्तानी पहली बार कड़ी परीक्षा से गुजरेगी।

भारत बनाम इंग्लैंड टी20 सीरीज का शेड्यूल

पहला टी20:1 जुलाई (बुधवार)
दूसरा टी20: 4 जुलाई (शनिवार)
तीसरा टी20: 7 जुलाई (मंगलवार)
चौथा टी20:9 जुलाई (गुरुवार)
पांचवां टी20: 11 जुलाई (शनिवार)

टी20 सीरीज के बाद होगी वनडे सीरीज

टी20 सीरीज समाप्त होने के बाद दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। पहला वनडे 14 जुलाई और अंतिम मुकाबला 19 जुलाई को होगा।

भारत बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज का शेड्यूल

पहला वनडे : 14 जुलाई (मंगलवार)
दूसरा वनडे :16 जुलाई (गुरुवार)
तीसरा वनडे : 19 जुलाई (रविवार)

आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज में हार के बाद टीम इंडिया अब इंग्लैंड के खिलाफ वापसी के इरादे से मैदान पर उतरेगी। नए टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए यह सीरीज बेहद महत्वपूर्ण होगी। लगातार हार के बाद उनकी कप्तानी को लेकर सवाल उठने लगे हैं और इंग्लैंड दौरा उनके नेतृत्व की बड़ी परीक्षा माना जा रहा है ।

ओलंपिक 2028 के लिए आईसीसी और आईओसी ने जारी किया क्रिकेट का क्वालिफिकेशन पाथवे

आईसीसी और आईओसी ने लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 के लिए क्रिकेट के क्वालिफिकेशन पाथवे की घोषणा कर दी है,जिसमें पहली बार आईसीसी ओलंपिक क्वालिफायर कराया जाएगा...

नई दिल्ली,29 जून 2026। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने आज मिलकर लॉस एंजिल्स ओलंपिक गेम्स 2028 में क्रिकेट की वापसी के लिए आधिकारिक क्वालिफिकेशन की घोषणा कर दी है। इसके तहत इतिहास में पहली बार आईसीसी ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। इस ऐतिहासिक कदम के जरिए दुनिया भर की टीमों को ओलंपिक के मंच तक पहुंचने का एक पारदर्शी और रोमांचक रास्ता मिलेगा। लॉस एंजिल्स 2028 में पुरुष और महिला दोनों वर्गों के टी20 क्रिकेट इवेंट आयोजित किए जाएंगे, जिसमें दुनिया की टॉप 6-6 टीमें पदक के लिए आपस में भिड़ेंगी। आईसीसी ने यह भी साफ कर दिया है कि इस टूर्नामेंट में अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व पूरी तरह सुनिश्चित किया जाएगा।

क्वालिफिकेशन पाथवे पर बोले आईसीसी चेयरमैन जय शाह

क्रिकेट की ओलंपिक में वापसी और इसके क्वालिफिकेशन पाथवे की पुष्टि होने पर आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने खुशी जाहिर की है। जय शाह ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, ओलंपिक खेलों में क्रिकेट की वापसी हमारे खेल के लिए एक लेंडमार्क पल है और दुनिया के सामने क्रिकेट की बेस्ट छवि दिखाने का एक मौका है। इस क्वालिफिकेशन पाथवे की पुष्टि लॉस एंजिल्स 2028 की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह दुनिया भर के हमारे सदस्यों को ओलंपिक मंच तक पहुंचने का एक स्पष्ट और रोमांचक रास्ता देता है।
जय शाह ने आगे कहा, ओलंपिक खेल मल्टी-इवेंट स्पोर्ट्स का शिखर हैं, और ꣲ28 में क्रिकेट को शामिल करने से हर क्षेत्र के खिलाड़ियों और प्रशंसकों को प्रेरणा मिलेगी। यह एक ऐतिहासिक क्षण है और हमारे सदस्यों के लिए एक बड़ा अवसर है, क्योंकि हम खेल को आगे बढ़ाना और इसे दुनिया भर के नए दर्शकों तक ले जाना जारी रखेंगे।

महिला वर्ग में टीम इंडिया की एंट्री पक्की

लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 के महिला क्रिकेट टी20 इवेंट के लिए कुल 6 स्लॉट तय किए गए हैं,जिनमें से 4 टीमों की जगह पहले ही पक्की हो चुकी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इस वैश्विक महाकुंभ के लिए सीधे तौर पर क्वालीफाई कर लिया है।

अब तक क्वालीफाई करने वाली महिला टीमें

ऑस्ट्रेलिया,ग्रेट,ब्रिटेन,भारत, साउथ अफ्रीका

शेष दो स्थानों के लिए दुनिया भर की अन्य टीमों के बीच आगामी आईसीसी ओलंपिक क्वालिफायर और क्षेत्रीय टूर्नामेंट्स के जरिए कड़ी जंग देखने को मिलेगी, जिसके बाद लॉस एंजिल्स जाने वाली सभी 6 टीमों की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी।

नकटी गांव में विधायक कॉलोनी के लिए बड़ी कार्रवाई

80 से ज्यादा मकान ढहाए, पुलिस-ग्रामीणों में झड़प

प्रशासन की सख्ती, भारी पुलिस बल तैनात

- भारी पुलिसबल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई
- अवैध कब्जे हटाने पहुंची टीम का ग्रामीणों ने किया विरोध
- महिलाओं ने रो-रोकर जताया विरोध, कई गांव वालों की तबीयत बिगड़ी
- 80 से ज्यादा कच्चे-पक्के मकान और दांचे तोड़े गए
- कार्रवाई के दौरान झड़प और धक्का-मुक्की

कार्रवाई क्यों?
विधायक कॉलोनी के निर्माण के लिए प्रशासन ने हटाए अवैध कब्जे

प्रशासन का कहना:
'नोटिस देने के बावजूद नहीं हटे, इसलिए करनी पड़ी कार्रवाई'

गांव में तनाव का माहौल
- गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात
- स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश जारी
- प्रशासन ने साफ कहा- अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं

उजड़ गए आशियाने...विधायक कॉलोनी बनाने के लिए चला बुलडोजर,रोते बच्चे बिलखती माताएं और सियासत का संग्राम

बच्ची बोली...सुबह से कुछ नहीं खाया...महिलाएं रोईं...पुलिस से धक्का-मुक्की...नया रायपुर में मिलेंगे मकान

पीएम और इंदिरा आवास के 32 मकान भी टूटे,भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चला बुलडोजर,सांसद के आश्वासन के बाद शुरू हुई कार्रवाई से ग्रामीणों में नाराजगी

रायपुर,29 जून 2026। राजधानी रायपुर के नकटी गांव में प्रस्तावित विधायक कॉलोनी के लिए सोमवार सुबह से प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। सुबह से अब तक 80 से अधिक मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना के तहत बने 32 मकान भी शामिल हैं। कार्रवाई के लिए प्रशासन ने रविवार देर रात से ही गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया था और एक हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। 29 जून की सुबह जेसीबी मशीनें गांव पहुंचीं तो कई ग्रामीण अपने घर बचाने के लिए मशीनों के सामने खड़े हो गए। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच धक्का-मुक्की और तीखी नोकझोंक हुई। विरोध बढ़ने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाते हुए कार्रवाई जारी रखी। फिलहाल 20 से 25 जेसीबी लगातार मकानों को तोड़ने में लगी हैं। ग्रामीणों में सबसे अधिक नाराजगी इस बात को लेकर है कि दो दिन पहले सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोगों को भरोसा दिलाया था कि बारिश के मौसम में किसी के मकान नहीं तोड़े जाएंगे। इसके बावजूद सोमवार सुबह भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई शुरू होने से लोगों में आक्रोश फैल गया। कार्रवाई के दौरान कई परिवार घरों के बाहर अपना सामान लेकर बैठे नजर आए, जबकि कई लोग मलबे के बीच अपने सामान को समेटते दिखे। प्रशासन ने गांव में बाहरी लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। किसी को भी गांव के भीतर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है।

लोग बोले...झूठा आश्वासन मिला...

वहीं इसके विरोध में ग्रामीण धरने पर बैठए गए थे,उनमें इसलिए भी आक्रोश है क्योंकि दो दिन पहले ही सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा था कि बारिश के मौसम में किसी के मकान नहीं तोड़े जाएंगे।

मकान के मलबे के पास बैठे रहे लोग...

सांसद के इस आश्वासन के बावजूद इस तोड़फोड़ से ग्रामीणों में गुस्सा है। कार्रवाई के दौरान मौके से ऐसी तस्वीरें सामने आईं जहां लोग घरों के सामने सामान निकाल कर बैठे दिखे,तो टूटे मकानों के मलबे पर एक बुजुर्ग मासूम को गोद में लेकर बेबस नजर आए।

नया रायपुर में मिलेंगे मकान...

इधर,बढ़ते बवाल के बीच प्रशासन ने दावा किया है कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की तैयारी शुरू कर दी गई है और उन्हें नया रायपुर के सेक्टर-30 स्थित ईडब्ल्यूएस मकानों में बसाने के लिए आवंटन प्रक्रिया जारी है।

टीएस सिंहदेव ने की कार्रवाई की निंदा...

इस कार्रवाई को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने एक्स पर लिखा नकटी गांव में ठीक बरसात के मौसम के पहले इस असंवेदनशील कार्रवाई की मैं निंदा करता हूं। सरकार ने छत्तीसगढ़ के नागरिकों के हितों पर लगातार कुठाराघात कर शासन संभालने का नैतिक अधिकार खो दिया है।

प्रशासन और पुलिस टीम लौटी...

कार्रवाई पूरी होने के बाद प्रशासन और पुलिस की टीम मौके से लौट गई है। वहीं दूसरी ओर, बेघर होने के विरोध में धरने पर बैठे लोग भी प्रशासनिक आश्वासन के बाद धीरे-धीरे वहां से हटने लगे। कार्रवाई के बाद ग्रामीण पास में ही धरने पर बैठ गए हैं। लोगों की नाराजगी है कि 23, 25 लोगों का उनका परिवार यहां 4 मकान में रहता था लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें एक ही घर दिए जाने की बात कह रहे हैं।

सुबह से भूखे-प्यासे थे बच्चे...

कार्रवाई के दौरान बेघर हुए बच्चों का दर्द भी छलक पड़ा। बच्चों ने बताया कि सुबह से वे भूखे-प्यासे थे और घरों पर खाना भी नहीं बना था, तभी पुलिस और नगर निगम की टीम आ धमकी और उनके आशियानों को तोड़ना शुरू कर दिया। इस बेहद तनावपूर्ण माहौल के बीच एक जहां एक तरफ लोगों के आशियाने उजाड़े जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक टीम ने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और प्रभावित ग्रामीणों को नाश्ते के पैकेट भी बांटे।

छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल, संभाग प्रभारियों की नई टीम घोषित

रायपुर,29 जून 2026। आगामी संगठनात्मक गतिविधियों और स्थानीय चुनावों की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने छत्तीसगढ़ में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल किया है। प्रदेश के सभी संभागों के लिए नए प्रभारी और सह-प्रभारियों की नियुक्ति करते हुए आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की सहमति से जारी इस सूची में अनुभवी महिला नेताओं को अलग-अलग संभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन का उद्देश्य जमीनी स्तर पर महिला मोर्चा को अधिक सक्रिय बनाना,महिला कार्यकर्ताओं को संगठित करना और सरकार की योजनाओं को महिलाओं तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना है। नई नियुक्तियों के तहत प्रभारी और सह-प्रभारियों को अपने-अपने संभागों में संगठन का विस्तार, जिला एवं मंडल स्तर की इकाइयों के साथ समन्वय स्थापित करने तथा महिला मोर्चा के कार्यक्रमों को गति देने की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी ने इस सूची में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन का भी विशेष ध्यान रखा है, ताकि प्रत्येक संभाग में संगठन को और अधिक मजबूती मिल सके। पार्टी सूत्रों के अनुसार, नवनियुक्त पदाधिकारी जल्द ही अपने-अपने प्रभार वाले क्षेत्रों का दौरा शुरू करेंगे। इस दौरान जिला और ब्लॉक स्तर की बैठकें आयोजित कर संगठन की समीक्षा की जाएगी और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति तय की जाएगी।

सर्पदंश मुआवजा घोटाले का खुलासा चार थानों में 14 एफआईआर दर्ज

बिलासपुर,29 जून 2026। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कथित सर्पदंश मुआवजा घोटाले को लेकर बड़ा प्रशासनिक खुलासा सामने आया है। मामले में प्रशासन ने कार्रवाई तेज करते हुए शहर के चार अलग-अलग थानों में कुल 14 एफआईआर दर्ज कराई हैं। हालांकि मामला संवेदनशील होने के कारण इन प्रकरणों को सिटीजन पोर्टल पर ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही है। इस बीच प्रशासनिक हलकों में कई तहसीलदारों और वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। यह मामला तब सामने आया जब बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने विधानसभा में आंकड़ों के साथ दावा किया कि बिलासपुर में सर्पदंश से मौतों की संख्या जशपुर जैसे जिले से भी अधिक दर्ज की गई है। इसके बाद शासन ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए थे।

बिजली-बिल के लेट पेमेंट पर नहीं लगेगा महीने का ब्याज

जितने दिन भुगतान में होगी देरी...सिर्फ उतने दिनों का ही देना होगा पैसा

रायपुर,29 जून 2026। छत्तीसगढ़ के करीब 66 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। अब बिजली बिल तय तारीख के बाद जमा करने पर पूरे महीने का लेट पेमेंट चार्ज नहीं देना होगा। उपभोक्ता जितने दिन बिल जमा करने में देरी करेगा, सिर्फ उतने ही दिनों का ब्याज लगेगा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी ने साफ किया है कि सोशल मीडिया और कुछ खबरों में चल रही 'दोहरा झटका' या 'रोजाना ब्याज' जैसी बातें गलत और भ्रामक हैं। कंपनी ने कहा कि नए नियम से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। कंपनी ने बताया कि राज्य विद्युत नियामक आयोग का नया नियम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें राहत देने के लिए लागू किया गया है। लेट पेमेंट का ब्याज पहले से ज्यादा साफ और आसान तरीके से जोड़ा जाएगा। पावर कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि पहले अगर कोई उपभोक्ता बिजली बिल तय तारीख के एक-दो दिन बाद भी जमा करता था, तो उससे पूरे महीने का 1.5% लेट पेमेंट सरचार्ज लिया जाता था। यानी कम देरी होने पर भी पूरे महीने का अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता था। इससे उपभोक्ताओं पर बेवजह आर्थिक बोझ बढ़ जाता था। नई व्यवस्था में अब लेट पेमेंट का ज्यादा चार्ज रोजाना के हिसाब से लगेगा। इसके लिए 0.04% प्रतिदिन की दर तय की गई है। यानी जितने दिन बिल जमा करने में देरी होगी,उतने ही दिन का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। अगर बिल एक दिन देर से जमा किया जाता है, तो सिर्फ 0.04% ज्यादा चार्ज लगेगा। वहीं 30 दिन की देरी होने पर भी कुल 1.2% ही ज्यादा चार्ज देना होगा। यह पहले लगने वाले 1.5% सरचार्ज से कम है।

बिलासपुर में रिटायर्ड टीचर से 9 लाख रुपए की ठगी

बिलासपुर,29 जून 2026। बिलासपुर में खेत समतल करने के बहाने ठगी करने वाला एक गिरोह सक्रिय है, जो किसानों का खेत समतल करने का सौदा करता है, जिसके बाद मोटी रकम लेकर गायब हो जाता है। इस गैंग ने एक रिटायर्ड टीचर को अपना शिकार बनाया है। गैंग ने रिटायर्ड टीचर से 9 लाख रुपए लेकर खेत समतल करने का झांसा दिया, जिसके बाद गैंग के सदस्य गायब हो गए। इस मामले में पुलिस ने ठगों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

दुर्ग में पकड़ा गया सैक्स रैकेट...बंद पड़ी लाज को बनाया था अड्डा,तीन युवतियां दो युवकों के साथ संदिग्ध मिलीं

दुर्ग,29 जून 2026। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में कथित तौर पर अवैध गतिविधियां संचालित होने की सूचना पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने तीन युवतियों,दो युवकों और रेस्टोरेंट से जुड़े दो संचालकों को हिरासत में लिया है। मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि संबंधित रेस्टोरेंट में अनैतिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए सीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। छापे के दौरान परिसर में मौजूद कुछ लोग संदिग्ध परिस्थितियों में पाए गए। जांच के दौरान पुलिस को कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद होने की बात सामने आई है। कार्रवाई के बाद सभी संदिग्धों को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। पुलिस रेस्टोरेंट संचालकों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि कथित कारोबार कब से चल रहा था और इसमें किन-किन लोगों की संलिप्तता हो सकती है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की विस्तृत जांच जारी है। वहीं,हिरासत में लिए गए युवकों और युवतियों से भी अलग-अलग पूछताछ की जा रही है।

ब्लड नहीं मिलने से सिकलिन पीड़िता की मौत...

4 की सेवा समाप्त,जिम्मेदारों को बचाने का लगा आरोप

दुर्ग,29 जून 2026। जिला अस्पताल में 1 जून को सिकलिन पीड़िता दीपिका गाढ़ा की ब्लड नहीं मिलने से हुई मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में लापरवाही सामने आने पर 2 डॉक्टरों समेत 7 स्वास्थ्यकर्मियों पर गाज गिरी है। वहीं बड़े अफसरों को बचाने के आरोप लग रहे हैं।

85 यूनिट ब्लड होने पर भी नहीं दिया,चली गई जान

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने अपर कलेक्टर योगिता देवांगन और सीएमएचओ डॉ. मनोज दानी को जांच सौंपी थी। 20 दिन की जांच में सामने आया कि ब्लड बैंक में 85 यूनिट रक्त उपलब्ध होने के बावजूद पीड़िता को ब्लड नहीं दिया गया। परिजनों को डोनर तलाशने को कहा गया, लेकिन डोनर नहीं मिलने पर ब्लड उपलब्ध नहीं कराया गया। डॉक्टरों की भी लापरवाही पाई गई।

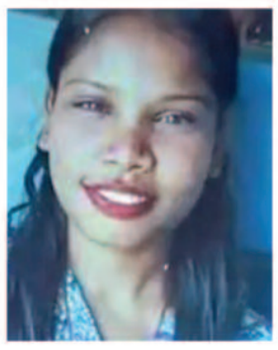

4 की सेवा समाप्त,3 पर अनुशासनात्मक कार्रवाई

इस मामले में रेडक्रॉस सोसायटी से ब्लड बैंक में नियुक्त दो लैब टेक्निशियन तरन्नुम जहां और नशरा परवीन तथा एनएचएम से नियुक्त दो स्टाफ नर्स जागेश्वरी देवी और तनुजा चंद्राकर की संविदा सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। वहीं स्टाफ नर्स अनसतसिया केरकेट्टा, पीजी रेजिडेंट डॉ. निखिल अग्रवाल और एनएचएम विशेषज्ञ डॉ. तृप्ति तिवारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए संयुक्त संचालक को पत्र भेजा गया है।

बयान बदलने के बाद भी प्रभारी डॉक्टर सुरक्षित

आरोप है कि मौत के लिए प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से जिम्मेदार अफसरों को बचा लिया गया। प्रतिनियुक्ति पर सेवा दे रहे ब्लड बैंक के प्रभारी डॉ. जे.पी. मेश्राम और आरएमओ डॉ. अखिलेश यादव के बार-बार बयान बदलने के बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन नाराज है। संगठन का आरोप है कि छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर प्रकरण को बंद करने की कोशिश की गई है। संगठन ने इस मामले में कलेक्टर से मिलकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करने की बात कही है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)